The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) in the Chair.

RESOLUTION RE: [illegible] AM-[illegible] BAN LA[illegible] AND R[illegible]TION) ACT, [illegible]—Contd

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, last time I was referring to some of the views of the eminent personalities and even of the Supreme Court Judges. I am again quoting the Supreme Court Judge, Mr. Tulzapurkar's view about this Act while delivering his judgement, he said that this Act of the year 1976, the Urban Ceiling Act, is ill-conceived and ill-drafted and its provisions have misfired and produced results opposite of what was intended. This is the view of the Supreme Court Judge which I have quoted last time also. When this Act was passed in 1976, several questions were raised in Parliament within three years. After that, a Working Group was appointed in the year 1979 to find out whether this Act which has been passed is being implemented properly or there are any deficiencies in this Act and if there are deficiencies, then how to remove those deficiencies. This Working Group submitted its report in the year 1980. Sir, the then Works and Housing Minister, Mr. Sethi stated about the implementation of this Act on 18th March, 1980:

"The Urban Land Ceiling Act, in its present shape, had proved an obstacle in the way of building activities. The non-availability of land at reasonable prices in the urban areas was one of the major factors inhibiting the taking up of housing programmes up to the desired level."

This was the view in the year 1980 and the Act was passed in 1976. Again in the year 1981, the then Works and Housing Minister, Mr. Bhishma Narain Singh, also expressed the same opinion saying that the Government is intending to bring an amendment to this Act and wanted to change the entire Act also. After that, I do not know why the Government, even after deciding in the year 1980, even after expressing the same view in 1981, could not bring any legislation. In the year 1982, the then Deputy Works and Housing Minister, Mr. Brij Mohan Mohanti, told the Lok Sabha during the Question Hour that the Government is seriously thinking of bringing amendments in this Act. But even after 1982 also, nothing was done in this Act. The position continued, even till today, no amendments have been brought in this Act. Even on 13th November, 1982 Mr. H. K. L. Bhagat, who was at that time the Minister for Housing and Works, also expressed that the Government was bringing legislation to replace this Act and far-reaching amendments would be brought. Not only that, Sir. On 5th July, 1984, Mr. Buta Singh, while addressing the Consultative Committee also promised that "we are taking action to bring the amendments in this Act." But succesively nothing has happened. Why I am bringing this to the notice of the hon. House is that everybody is satisfied and everybody is convinced that this Act, after it was passed, has not brought any changes. Sir, why is this Act so defective? It is because the Act has been passed hurriedly. In the Parliament and outside even in the State Legislatures at that time there was a strong urge, and the people have been urging the Central Government and the State Governments that for the sake of land reforms you are taking away the farmers' lands but you are not touching the lands of the big landlords, big fellows in the cities and, therefore, you must bring an Act to take away the surplus lands from the big people. Therefore, in 1976, hurriedly this Act was passed and there were a large number of loopholes. I think, Mr. Deshmukh has rightly pointed out that there are a large number of loopholes which have to be plugged or a new Act has to be brought in. Sir, even the Prime Minister on 28th February,

[Shri Veershetty Moglappa Kushnoor]

1987, while presenting the Budget as the Finance Minister, has said about this Act. Mr. Gandhi said: "Though ten years passed after passing this Act, less than one-half to one per cent of the land declared surplus has actually been used for construction. Meanwhile scarcity of land has pushed up rents and speculative profits in urban areas. The worst sufferers had been the poor. And this was not acceptable. The Government has discovered that it has not been able to take possession of even one per cent waste land in 71 cities and towns." Sir, this is the view of the Prime Minister also. Not only that....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Who is at fault?

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR: I will come to that also.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The respective State Governments have not implemented it.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR: Sir, there was a question in the Parliament on 27th April, 1987. Our senior members of the Congress Party, Mr. Bhagwat Jha Azad and Rao Birendra Singh were very critical of this Act. Our hon. Minister, who is sitting here now, himself admitted that 'we are bringing the amendments as early as possible.' I am unable to understand why the Government. even after knowing it from 1980 onwards, is hesitating to bring the amendments or to replace the entire Act for the sake of the common man. If you want to provide houses, etc., to the poor people, you must bring such kind of legislation. But why it has not been brought, I am unable to understand. As I have already stated last time, even Mohsina Kidwai has said that they wanted to bring forward a legislation. So I want a categorical assurance from the Minister that this Act is coming and I want to know whether it is being brought forward as an amendment or as a fresh Act and the present Act is being replaced by a new Act. There must be an assurance on this question because this question has been raised several times in the Lok Sabha and even in the Rajya Sabha. You see, my friend, Mr. Deshmukh has brought forward this Resolution keeping in view all the lacunae in this Act.

Sir, coming to the Act itself, last time also I have not mentioned in detail, but I have briefly stated that the Act which has been passed, under it the vacant land, the surplus land, which has been declared for what use, it is according to section 23. it is only for industries and industrial workers. It shall be competent for the State Government to allot by order the excess land which is deemed to have been acquired by the State Government under this Act or is acquired by the State Government under any other law and allotted to any other person relating to or in connection with any industry or for private residential accommodation of such type as may be approved by the State Governments to their employees or to any industry. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I think that is for the industrial land and not all land, i.e., land which is taken for industry, in that case it applies.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR: Sir, my humble submission is it is not. This is the only section which says how it is to be disposed of, this surplus land which has been taken by the State Government. This is the only provision.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Minister, will you please clarify?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): Afterwards.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): What is the actual provision? What he says, is it for industrial land or all land?

SHRI DALBIR SINGH: Surplus land, it is 'all lands'.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR: But the disposal of this, what is the use, what for are we using? Who will be the beneficiary? Section 23 clearly says that this land will be for the industry or industrial workers. Was it the intention, at that time when Members of Parliament and others raised the question, that it was not restricted only to industry or industrial workers and that it was for poor and other persons, homeless persons? That must be the intention. It is not the intention that certain types or categories of persons only must get this land. That was not the intention.

Now, Sir, the other very interesting provision in this Act is that State Governments have been given power of exemption to declare exempt certain lands. Whenever there are no such conditions, they can exempt. As here, the Government has taken only 6,000 hectares in its possession after declaring nearly 18,000 hectares as surplus, whereas the State Governments have given 43,000 hectares as exempted in order to build hotels or whatever they want to do with that. It means this that many State Governments are taking shelter and they are giving exemptions to whomsoever they like. I am not attributing it to any one State.. All States under this provision, which has given powers to the State Government, they are giving exemptions recklessly. That is, 43,000 hectares which are surplus land, they have exempted and big hotels and other things are coming up on these exempted lands. My submission is that in granting these exemptions, even if they are in several States the State Governments have favoured their own kith and kin, have favoured their own friends by granting exemptions to surplus land. Not only that Sir. There is even a charge of corruption at the higher levels for giving such kind of exemption. So. this exemption is also meaningless because on the side you want that surplus land must be declared and should be taken over by the State Governments, and on the other side you are giving exemptions. There should not be a provision wherein nearly 60 to 70 per cent of the land is given exemption where big buildings come up. Even section 27 also prohibits transfer of urban property. It says: "Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, subject to provisions of sub-section 3 of section 5 and sub-section 4 of section 10, no person shall transfer by way of sale, mortgage, gift or lease for a period not exceeding ten years or otherwise any urban or urbanisable land and buildings which are constructed before or after the commencement of this Act, or a portion only of such buildings for a period of ten years of such commencement from the date on which the building is constructed, whichever is later, except with previous permission, in writing, of the competent authority". I am unable to understand it. Once there is a surplus land so declared. there is no question of any permission being given to transfer it or lease it to any other person. There must not be any such provision at all. Once any land is declared surplus, it must be immediately taken possession of by the Government. That should be the provision. But instead of that, they are giving permission for ten years or more.

Provision about payment of compensation is also ridiculous. I refer to section 11, clause B(ii). This is about compensation. "In a case where no income is derived from such vacant land, an amount calculated at rate not exceeding Rs. 10/- per sq. mt. in the area of the vacant land situated in urban agglomeration falling under category A and B specified in Schedule I, and Rs. 5/- in the case of vacant land situated in urban agglomeration falling within category C or category D specified in that schedule." It shows the actual compensation, the highest amount of compen-

[Shri Veershetty Moglappa Kushnoor]

sation, that is being paid, and which is so meagre. And even with regard to payment of compensation also, Rs. 25,000 is paid in cash and the balance of Rs. 2 lakh has to be paid after twenty years....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Maximum is Rs. two lakhs.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR: Yes, that is the maximum amount. As Justice Tulzapurkar, Supreme Court Judge, said, this is the most ill-conceived and illdrafted piece of legislation. And it is proved after reading it.

Therefore. I humbly and earnestly request the hon. Minister that this Act must be replaced by a new legislation in order to give protection to poor people.

With these observations. I conclude.

*SHRI R. T. GOPALAN (Tamil Nadu): Mr. Vice Chairman Sir, I whole heartedly welcome the Resolution introduced by the Hon'ble member Shankarrao Narayanarao Deshmukh. While we say that agriculture is the back bone of India, the fact remains that most of the farmers are much below the poverty line. It is only the farming community which has become wretched because of thankless overworking. I would like to warn this Government of a possible dangerous consequence. The candle burns itself to give us light. Same is the plight of our farmers today. If their tears are not wiped and the grievances redressed the entire nation will be plunged into darkness oneday. This is what we learn from the past history.

The Hon'ble food Minister has stated time and again on the floor of the House that the Government has enough buffer stock to meet the havoc caused by drought and flood. But it is unfortunate that he never had a word of praise for the invaluable labour of the crores of farmers who made this buffer stock possible. The laudable role of this community is ignored because it is unorganised. When people in other professions are affected, they resort to agitation or strike because, they have their Unions. But owing to illiteracy and ignorance, the farmers continue to be passive. They donot have the bargaining power because their masters are elements. Sowing and harvest cannot be postponed.

This apart. the Central as well as some state Governments acquire agricultural lands in the name of Urban development and providing of houses to the Urban poor. In this kind of land acquisition, the worst affected are the small farmers. Affluent landlords somehow escape the eyes of law. When the government acquires land. the poor people do not get even due compensation. The small farmers become so much disgusted with the meagre compensation that they prefer to switch over to some other profession to earn their bread. This kind of mass exodus of the farming community is ominous of the impending disaster. This should be taken care of in all seriousness.

Mahatma Gandhi said that India could prosper only if the rural India thrived. He thought, then alone. 'Ram Raj' could be realised. But what happens here is just the opposite. Therefore I urge upon the government to adopt such measures to see that the small farmers do not take to other profession. The government, while acquiring land, should be gracious enough and provide the affected farmers with cultivable land elsewhere and sufficient money to meet the expenditure incurred on migration. Otherwise, the affected farmers would be forced to look upon this government and society as enemies.

Sir, I wish to bring to the notice of this House, how, the rural poor and the far-

---

***English translation of the original speech delivered in Tamil.**

mers are well looked after in Tamilnadu, under the stewardship of the Hon'ble Chief Minister Dr. M. G. R. 'Ram Raj' the dream of Mahatma Gandhi has become true in Tamilnadu. The late Chief Minister of Tamilnadu Dr. Anna said, "the tiller should own the soil he tills." Following his foot steps the government of Tamilnadu has gone a big way in assigning the barren lands to the landless and providing them enough funds to make them cultivable. It has also identified the small and marginal farmers and has been giving them long-term and nominal-interest loans. Those with less than two acres of land, are given electricity free of cost for the purpose of irrigation. I wish to point out that if this is possible for a State government why the Centre can not do it in a big way. I request the government to consider the resolution of Shri Shankarrao Narayanarao Deshmukh and amend the Urban Development (Ceiling and Regulation) Act, 1976.

With the mushrooming growth of real estates all over the country, corruption and forgery have been increasing alarmingly. The cost of land, both in urban and rural areas, has shot up so much that buying a piece of land is beyond the reach of the poor. I once again urge upon the government to curb this menace at the earliest. I support the resolution that seeks the due share of the rural folk. Thank you.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी देशमुख जी ने यहां इस सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। उन्होंने इसमें कहा है कि शहरी और ग्रामीण जमीनों के मूल्य दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। यह अपनी जगह सही है और भूमि के सौदों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी है यह उन्होंने इसमें चर्चा की है। उप सभाध्यक्ष महोदय मुझे भी इसी विषय में थोड़ा सा कहना है कि शहरी भूमि जो अर्जित की जाती है शहरों के नाम से वह ले तो ली जाती है लेकिन ए. तो उसका बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं होता जिसे मैं राष्ट्रीय क्षति मानता हूं। वह बहुत दिनों तक पड़ी रहती है। सन् 1960 की जमीन अभी तक खाली है गाजियाबाद में जो अक्वायर कर ली गई। यों तो यह जमीन अर्जन का काम सारे देश के शहरों के नजदीक हो रहा है, देश का कोई शहर क्यों न हो वहां पर यह जमीन अर्जित करके शहरी नाम से ले ली जाती है और बाद में उसका बुरी तरह से दुरुपयोग होता है। जब किसानों से जमीन ली जाती है तो उस वक्त उसका कम से कम मुआवजा दिया जाता है। बाद में लेने के तुरन्त बाद जब उसकी जमीन दूसरों को दी जाती है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। किसान के साथ यह न्याय नहीं है। उस वक्त किसान के साथ जो वायदा किया जाता है कि जमीन लेने के बाद उसको प्लाट देंगे वह नहीं दिया जाता और जब वहां पर उद्योग लगाया जाएगा तो उसमें उसके बच्चों को नौकरी दी जाएगी लेकिन वह भी वायदा पूरा नहीं होता। जब किसान उजड़ जाता है तो उसके बसाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं बहुत से ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। जिस सदन में आज हम और आप बैठे हैं यह हमारे पूर्वजों की जमीन रायसिना गांव की थी, आज रायसिना रोड़ है, नजदीक ही है यहां से हमने उजड़ना शुरू किया है और यहां से जाकर के जितना भी शहर है वह बाहर को बसता चला गया है, चाहे नौएडा हो, गाजियाबाद हो, जी०डी०ए० हो और चाहे डी डी ए बने सबसे यहां के किसानों को उजाड़ा गया है। अंग्रेजी राज में तो पैसों में मुआवजा दिया गया था। लेकिन आज भी मुआवजे की दरें, कीमतें बढ़ी होने के बावजूद भी कम हैं और मुआवजा वक्त पर दिया नहीं जाता। मुआवजे पर जो सूद है वह भी नहीं दिया जाता। परेशानी इतनी होती है कि मुआवजे में से बहुत सा हिस्सा मुआवजा देने वाले ही ले लेते हैं। आए दिन किसान परेशानी में है। इसके अलावा भी जो बड़ी परेशानी है वह यह है कि उद्योगपति जो वहां जमीन ले लेंगे या बड़े व्यापारी जमीन ले लेंगे वह किसानों की कीमत पर और उन्हें उजाड़कर किया जाता है। डी०डी०ए० ने तो कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिए हैं लेकिन जो जी०डी०ए० है नौएडा अथारिटी है या और कोई भी अथारिटी हो वहां पर जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है उस पर चैकिंग होनी चाहिये। मुझे बहुत सी घटनायें याद हैं। नौएडा में बहुत बड़ी झील बनाई गई जिस पर लोग बताते हैं कि करोड़ों रुपया खर्च किया

[श्री राम चन्द्र विकल]

गया और करोड़ों रुपये खर्च करके बहुत कम पसे में उद्योगपति को क्यों दे दी गई ? इसकी जांच करेंगे तो यह बिना समझे ही अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना भारी घोटाला है। नौएडा में एक स्कूल में मैंने खुद 1967 में पत्थर लगाया फोरेस्ट मिनिस्टर की हैसियत से और अभी 15 दिन पहले उस पर बुलडोजर चला दिया गया, न ग्राम के प्रधान से पूछा और न ग्राम की कमेटी से पूछा और एक कैम्ब्रिज नाम के स्कूल को दे दिया गया है। इस तरह के पब्लिक स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल जमीन के लाभ के कारण खोले जा रहे हैं और जो एक खुला व्यापार नजर आता है, एक बड़ी इंडस्ट्री नजर आती है। इंडस्ट्री में भी शायद इतना मुनाफा न हो जितना आज पब्लिक और कैंब्रिज स्कूलों को खोलने के नाम से हो रहा है और गांव के लोगों को उजाड़ा जा रहा है। गांव के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। मुझे मालूम है नौएडा में आज कितने लोग इसी आतंक या मिनी मीसा लगाकर आज जेलों में बंद पड़े हुए हैं उन पर थोड़ा-थोड़ा अपराध भी नहीं है लेकिन जिन कर्मचारियों का हाथ इस तरह के भ्रष्टाचार में है अगर उसको जांचा जाए तो उन गांव के लोगों के अपराध से उनका अपराध कहीं बड़ा है। उनको आज जेलों में बंद होना चाहिये, अगर कोई न्यायसंगत जांच करना चाहते हैं ? आज इतनी अन्धेरगर्दी है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, अनेक सरकारी अधिकारी गिरफ्तार हो सकते हैं जो कि जमीन का खुला व्यापार कर रहे हैं। बार-बार हमने कहा है। हमारे दिल्ली शहरी क्षेत्र को बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश के तीन जिले ले लिए गए, गाजियाबाद है, मेरठ है, बुलंदशहर है। इधर सोनीपत ले लिया गया, रोहतक ले लिया गया, महेंद्रगढ़ ले लिया गया, फरीदाबाद ले लिया गया और राजस्थान का अलवर ले लिया शहरी क्षेत्र बढ़ाने के लिये। जब इतने जिलों की जमीन ले ली गई तो आप खुल करके इस जमीन का सदुपयोग करें, इंडस्ट्री लगाए, कुछ भी करें, सरकारी अस्पताल बनाएं, स्कूल बनाएं कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उन्हीं गांवों के लोगों पर, जिनका कोई रिकार्ड तो है नहीं उनके मकानों पर बुलडोजर उनके घरों तर बुलडोजर चला दिए जाते हैं और कुछ के छोड़ दिए जाते हैं। क्यों छोड़े गए और क्यों गिराए गए, दोनों में भारी करप्शन है। दोनों में इंतहा करप्शन है। इसको कोई भी जांचे तो सिद्ध हो सकता है और सिद्ध होने पर कोई भी उच्च अधिकारी जो उससे सम्बन्धित रहा है आदेश देने वाला वह गिरफ्तार हो सकता है, अगर इसकी न्यायसंगत जांच की जाए ? इस जमीन के मामले में जैसा इस विधेयक में भी

3.00 P.M. है बहुत मूल्य बढ़ गए और दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन उद्योगों के नाम पर आप उनको छूट दे सकते हैं 4 करोड़ रुपया उद्योगों में आज फंसा हुआ है, जैसी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। यह कोई उनसे वसूल होने वाला नहीं है। खाली उद्योगों के लिये जमीन ही नहीं दी गयी है, उनको बिजली सस्ती, पानी सस्ता और जो कोटा-परमिट हो वह भी सस्ती दर पर दिया जाता है। लेकिन फिर भी उद्योग कामयाब नहीं होते। कोई जांच करने वाला नहीं है। उद्योगों के नाम पर जमीन ले ली गयी है, उद्योग कोई लगा नहीं है और बैंकों से भी कर्जा अलग से ले लिया। लेकिन जो किसान की जमीन है, उसे अपनी जमीन की कीमत भी नहीं मिलती, मुआवजा भी समय पर नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि यह किसानों के साथ ज्यादती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप किसानों को, उसके बच्चों का उजाड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे इसी संदर्भ में नौशेरवां बादशाह का एक किस्सा मंत्री जी को सुनाना है, उनको याद होगा, नौशेरवां बादशाह का नाम आज भी देश में मशहूर है कि एक बुढ़िया की झोपड़ी थी जो कि बादशाह के महल के नक्शे में आती थी। बादशाह ने अपने पैरोकार को बुढ़िया के पास भेजा कि बुढ़िया से कहो, हम इतना महल बनाकर फलां जगह दे देंगे। लेकिन बुढ़िया की जमीन हमारे नक्शे में आती है, वह छोड़ दे। बुढ़िया ने कहा—नौशेरवां का महल अपनी जगह है और मेरी झोंपड़ी अपनी जगह है, मैं इसी में रहना चाहूंगी, बदलना नहीं चाहती। उसके इंसाफ का किस्सा आज भी मशहूर है लेकिन आज कितने मकान गिराए जाते हैं कितने लोगों को उजाड़ा जाता है, कितने स्कूल गिराकर दूसरे स्कूल बनाए जाते हैं

ग्राज एक भी उदाहरण नौशेरवां का मंजूर होने को यहां तैयार नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रीन-पार्क छोड़े जाते हैं, चाहे वह दिल्ली में हों चाहे गाजियाबाद में, चाहे फरीदाबाद में, या किसी भी शहर में हों। ग्राज ग्रधिकारी लोग जमीन के व्यापार में दिलचस्पी लेने लगे हैं, वह ग्रीन-पार्क को एलोट कर देते हैं चाहे जिस किसी को जबकि ग्रीन-पार्क एक पालिसी है, चाहे वह दिल्ली में हो या बाहर हो कि यह ग्रीन-पार्क रहेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे उदाहरण ग्राज हैं, मंत्री जी खुद जांच लें कि ग्रीन-पार्क कितने बेच दिए गए। ग्राखिर क्यों बेचते हैं ग्रीन-पार्कों को? यह लेन-देन का मामला चलता है। ग्राज मैं खाली इंजीनियरों, ठेकेदारों को दोषी नहीं समझता, ग्राज तो यह सारे ग्रधिकारी भी पीछे नहीं हैं। ग्रधिकारी भी इंजीनियरों, ठेकेदारों से ग्रागे पहुंच गए हैं। जो जहां जमीन ली जा रही है शहरों में, वहां काफी भ्रष्टाचार पाया जाता है। जो गरीब मजदूर वहां रहते थे उनको उजाड़ा जा रहा है, गांव में किसान को थोड़ा-बहुत मुग्रावजा तो मिल गया, लेकिन उन बेचारों को रहने को जगह नहीं है। फर्जी एफीडेविट देकर कोई भी होशियार ग्रादमी जाकर वहां किसी को पैदा कर देगा, लेकिन वहां के रहने वालों को जरूर उजाड़ा जाएगा। वहां के निवासी मजदूर को कोई भी जगह नहीं, किसानों को कोई भी जगह नहीं। लेकिन फर्जी हलफनामा देदेकर कोई भी ग्रादमी उसको ले लेगा, फिर दूसरा प्लाट तीसरी जगह ले लेगा या ग्रधिकारियों से सांठ-गांठ करने वाला हो तो वह कोई जगह उजड़वा देंगे ग्रौर बस जायगा। हर उजड़ने ग्रौर बसने के पीछे कुछ न कुछ मुनाफा बंधा हुग्रा है। यह काम न केवल दिल्ली में हो रहा है, ग्रास पास भी हो रहा है ग्रौर कोई देखने वाला नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ग्राप जांचने का काम ग्रपने जिम्मे ले लें, मुझे ग्राप पर भरोसा है। दिल्ली में देखिए, कुछ ग्रधिकारियों को सजा मिले। ग्राप दिल्ली में, गाजियाबाद में देखें, मेरठ में देखें, नासिक में देखें, कलकत्ता में देखें, देश में जहां भी विकास प्राधिकरण हैं या इस नाम से संस्थाएं बनी हैं, वहां फर्जी कोपरेटिव सोसायटी लोग बना देते हैं। चूंकि जमीन एक व्यापार हो गया है ग्रौर इसमें दूसरे उद्योगों से ज्यादा मुनाफा है, इसलिए फर्जी कोपरेटिव सोसायटियां बन रही हैं। ग्राप इन कोपरेटिव सोसायटीज को जमीन दें, लेकिन किसी को उजाड़ कर न दें ग्रौर जिनको ग्राप देते हो, उनको न्यायसंगत दाम से दो।

मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। साथ में यह कहना चाहता हूं कि जिन किसानों को उजाड़ा जाता है, जिनकी जमीन ली जाती है चाहे किसी काम के लिए भी तो उनको बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राप उनके बालिग बच्चों को भी कोई ग्रधिकार नहीं देते हैं, नौकरी देने का काम भी नहीं, मुग्रावजा भी वक्त पर नहीं, बीस-बीस साल तक मुग्रावजे की दरें रखते हैं, उस पर कोई सूद भी नहीं। तो किसान ग्रौर उसकी जमीन के साथ न्याय होना चाहिए।

महोदय, मैं ग्रधिक नहीं कहना चाहता। ग्रगर मंत्री जी खुद जांच करें तो ठीक है। साथ ही मेरा सुझाव है कि एक सर्वदलीय समिति बनाएं ग्राप इस सदन की, वह सारे देश में चक्कर लगा ले तो सारी तस्वीर यहां ग्रापके सामने ग्रा जाएगी ग्रौर ग्रापको मालूम हो जाएगा कि जमीन के सौदों में क्या-क्या चलता है, किस तरह किसान तबाह है, किस तरह लोग मुनाफा कमाते हैं। ग्राप इस सदन की एक कमेटी बना दीजिए ग्रौर ग्रपने स्तर पर भी जांच करवाएं या जो भी ग्रापको एजेन्सी मंजूर हो, उससे जांच करवाएं तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक को संशोधित

[श्री रामचन्द्र विकल]

रूप से लाने के लिए देशमुख जी के आप हामी हो जाएंगे। इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं देशमुख जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, a very important and useful Resolution has been moved by Shri Shankarrao Narayanrao Deshmukh. I welcome this Resolution.

While moving this Resolution he brought some very important points not only to the general public but also the Government. The malpractices, corruption and all the ills that are being indulged in land dealings have been brought out. We are very thankful to him. He, being a Member of the Treasury Benches, must influence the Government. Of course, we are demanding this. The whole House supports this. He should also pay his own role by influencing the Government to bring immediate changes in this Act and put an end to these abuses which are prevalent to this day.

The most important things which he has brought to the notice of this House and the Government are these. Of course, everybody knows, the price of land, both the rural land and the urban land, has considerably shot up, and the prices are going up higher and higher every day. There is a lot of corruption There are no two opinions about it. Corruption is prevalent in land dealings, land transactions. Who are doing this? Those who have got black money at their disposal, deal in these land transactions. They purchase land at a cheap rate and sell the same land at a thousand times more price than what they pay to the original owner. So. I would like to draw the attention of the Government to these ills.

Apart from that, a great injustice has been done to the poor farmers from whom the land has been acquired. Of course, the middle men, the men who have money at their disposal, are making money, they are able to have palatial buildings, they are doing everything. What about the poor men, agricultural farmers who have got two, three, five, ten acres? Their land has been acquired, their land has been taken away for a small amount. Their position has not been improved, anywhere. You go to any family, any farmer. They are neither able to give good education to their children nor able to have a good house to live in nor a nice way of life. But the man who has taken the land from him today is living a luxurious life and is having a palatial building and everything else. What action is the Government going to take to stop this state of affairs? The whole system is to be changed. The whole economic policies and planning have to be changed. Until and unless we take drastic action in planning these things, this is not going to improve. We may pass laws, we may pass so many ordinances and Acts and all those things. They cannot be sufficient until and unless the Government, the men in authority, who are responsible, are determined to do justice to the cause of the people in general. This is very important. For example, I would like to draw the attention of the hon. Minister because he deals with the subject. In Delhi, for example, very near to my House. I would like to give an example, there was a big open land just in front of the Loknayak Bhavan. Previously, animals etc. used to roam in that open land. After some time, with great expenditure—I think, lakhs of rupees might have been spent—a park was developed. and the boundary wall was constructed. Trees were planted. A big festival was held. Ceremonies were conducted. Ministers were invited and speeches made. I thought this area will be improved. Within three months I have seen trees have disappeared. Contractors have erected structures on the land and that park is no more there. It has been converted into a dirty place. All kinds of dirty articles are being put there by the contractors and the whole area has become unhygienic. The contractors have done this in collusion with the authorities responsible in that area. I have written so many times

to the Municipal authorities and the administration to kindly come and look into the matter and see what is happening there. Nobody has come. As a matter of fact, I threatened two contractors and asked them that I will not allow them to carry out these things which jeopardised the hygienic condition of the people. They told me, these are the orders of the authorities, what can they do? It has become a dumping place for all sorts of materials and is the dirtiest place in the area. So, the land which has been available in Delhi is either being misused by the contractors or authorities or has been converted into slums. Wherever open land is there, slums have come up. There is no check by the authorities. I would like to know why the department or the Ministry or the Government is not taking any serious view of all these things. After erecting structures, after the slums have come up or after illegal constructions have come up and people have lived there for three or four years, all of a sudden authorities come to demolish it. Why? Really those who have constructed houses or colonies and have lived there for ten years, why will they allow its demolition? They will not. It is not their fault. It is the fault of the Government. On the first day itself, it was the duty of the Government to demolish the illegal and unauthorised constructions. Similarly, people who have no right over the land, due to high prices of land, are occupying the Government land and are selling it to others. What action has the Government taken against them? No action. The Government has not taken any action to remove all these ills.

My learned friend Mr. V. M. Kushnoor, while pointing out some of the lacunae in the present Act, also referred to what the Supreme Court has said. The Supreme Court observed about the Land Ceilings Act as 'ill-conceived and ill drafted'. If there is any lacunae in the Act, it is the duty of the Government or the Minister to revise it. They should go through the Act and rectify it and see that all the ills which my learned friend has drawn attention to through this Resolution are removed. The Government should go through this and see that justice is done to the people in general. Therefore, through this Resolution what we want the Government to do is to take immediate steps to amend the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, so as to:

ensure immediate payment to the land owners whose agricultural lands fall within the agglomeration area under the Act, at the prevailing fair market price, instead of deferred payment of 1|4th of the fixed price in cash and 3|4th in Government bonds to mature after the expiration of 20 years, as laid down in the Act. It is very reasonable. I do not think the Government has got any difficulty in having this.

Similarly, another suggestion is: to remove the inequitable and unnatural division of areas into urban and non-agglomeration or rural areas under the Act; to save farmers whose agricultural land happens to fall within the agglomeration area from ruination as a result of unjust and inequitable implementation of the law.... for which several crores of rupees are being spent to the detriment of the society at large. There are very important and simple things and Government should not have any difficulty in accepting these suggestions which have been provided in this Resolution.

In view of the present situation that is prevailing in the country sepcially in big cities like Delhi, I request the Government to take a serous view of these things and amend the Act and see that these ills are put to an end to. Thank you.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र और कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता श्री शं. ना. देशमुख जी ने जो प्रस्ताव इस सदन में रखा है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। हमारे देशमुख साहब एक बड़े विधायक महाराष्ट्र विधान सभा में रह चुके हैं और महाराष्ट्र में ही नम्बर तीन की नासिक पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वह एक प्रख्यात वकील भी रहे हैं और ग्रामीण

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

समस्या और नागरिक समस्या के बारे में उनका बहुत बड़ा अध्ययन है। उन्होंने बहुत ही अभ्यासपरक जो प्रस्ताव इस सदन में रखा है मैं समझता हूं इस देश के समग्र नागरिक समस्याओं की जड़ क्या है उसको उन्होंने यहां रखा है। वह प्रस्ताव पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि अगर हमने इस को पारित कर दिया, पारित करने की बात तो छोड़िये, मगर एक ऐसा संयुक्त विधेयक इस सदन में लाया गया जिससे कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है।

उन्होंने जो पहला प्रस्ताव रखा है :

"शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है,". यह सच है। आप भी बम्बई शहर से आते हैं और मैं भी महाराष्ट्र से आता हूं। 25-30 साल पहले जिस भूमि की कीमत एक रुपये प्रति स्क्वेयर फुट थी आज उसकी कीमत 300 रुपये प्रति स्क्वेयर फुट है। जिसकी कीमत 5-10 रुपये स्क्वेयर फुट थी आज उसकी कीमत 4-5 हजार रुपये स्क्वेयर फुट है। पता नहीं ये कीमतें बढ़ते-बढ़ते कहां तक जायेंगी। जमीन इतनी महंगी हो रही है और मनुष्य इतना सस्ता हो रहा है कि इस भूमि पर पांव रखने के लिए भी भूमि उपलब्ध नहीं होगी। ऐसी अवस्था हमारे देश में होने जा रही है। इस लिहाज से हमारे देशमुख साहब ने जो प्रस्ताव रखा है कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सारा सदन इससे सहमत है।

दूसरा प्रस्ताव है कि भूमि के लेन-देन और सौदों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती। मुझे अच्छी तरह से याद है कि दो-तीन साल पहले, मुझे तारीख तो याद नहीं है लेकिन 'इलस्ट्रेटिड वीकली' नाम की जो 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की एक बड़ी वीकली है उसमें आया था कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला या प्रोफिट देने वाला या नफा कमाने वाला अगर कोई धंधा है तो जमीन की लेन-देन का धंधा है। बड़े शहरों में अगर आप देखेंगे बम्बई में या दिल्ली में सबसे बड़ी कोठी जिस की होगी आप उसके बारे में जरूर सोचेंगे कि यह जमीन का लेन-देन का धंधा करने वाला आदमी होगा। हमारे देश का जो काला धन है उसका इसमें बड़ा हिस्सा हो सकता है। स्टेटेस्टिक्स मेरे पास नहीं हैं। मगर भ्रष्टाचार का दरिया बहता जा रहा है। इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है।

तीसरा प्रस्ताव है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का लाभ उठाने के प्रयोजन से फर्जी गृह निर्माण सहकारी समितियां बन गई हैं। इनकी मांग है कि इसको बदलना चाहिए। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं।

चौथा प्रस्ताव है कि उक्त अधिनियम ने अनुचित और बोधगम्य कल्पना को जन्म दिया है, जिससे भूमि की काला-बाजारी और फर्जी लेन-देन में वृद्धि हुई है। कृषि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलाधार है, शहरी निर्धनों की सहायता करने के बहाने पूरी तरह चौपट की जा रही है। सबसे ज्यादा जमीन कृषि के लिए थी लेकिन यह दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। शहर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार न होने के कारण वहां की आबादी शहरों की तरफ जा रही है और शहर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। शहरों में ठेकेदार जमीन खरीदते हैं 8 रुपया गज, 10 रुपया गज और एक महीने बाद उसको 20 रुपये गज पर बेच देते हैं। यह कितना सीधा धंधा है कि 100

रुपया आज लगाओ और 200 रुपया कल पाओ। यह धंधा सट्टा और मटके के धंधे जैसा है। अगर आपको इस मटके के धंधे को अपने देश में बंद करना है तो इसके बारे में आपको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है ऐसा मैं मानता हूं।

महोदय, इसके बाद उन्होंने यह भी रखा है कि इस सभा की यह सम्मति है कि सरकार को नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का संशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। तो मेरे अन्यतम साथी चौधरी दलवीर सिंह साहब, जो इस विभाग के मंत्री भी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला हमारे दोस्त ने उठाया है और इसकी तरफ अवश्य ध्यान दिया जाये। अगर जल्दी से जल्दी नियमों में इसके अनुसार परिवर्तन किया जाये तो यह बड़ा हितकारी होगा। इसमें उन्होंने कहा है कि परिवार के मुखिया और व्यस्क सदस्यों में ही भूमि बांटने के वर्तमान तरीके के स्थान पर परिसम्पत्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों और अवयस्क सदस्यों में भूमि को बांटा जा सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा है कि संकुलन क्षेत्र में आने वाली कृषि भूमि के किसानों को कानून के अन्यायपूर्ण और अनुचित क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप नष्ट होने से बचाया जा सके जिसके लिए करोड़ों रुपए व्यय किये जा रहे हैं और इससे सामान्यतः समाज को नुकसान हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, नागरिक समस्याओं पर एक बहुत अच्छा प्रस्ताव हमारे ज्येष्ठतम मित्र लाये हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया जो लोग हमारे देश में अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं हैं, उनकी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। जो लोग शहरी क्षेत्र से आते हैं वे जानते हैं कि आज जमीन की क्या कीमत है? मैं तो इस सदन में कहता हूं कि यहां के पता नहीं कितने सदस्य हैं जो बम्बई और दिल्ली में 1 हजार स्क्वायर फीट जमीन लेकर मकान बनाये हुए हैं। आम आदमी के लिये यह संभव नहीं है। अभी कोई काम गरीबों का नहीं हो रहा है। महोदय, पहले हमारे देश में 14 उद्योगपति थे लेकिन अब 130 हो गये हैं। जमीन का व्यापार करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं और उनके पास कालाधन भी जमा हो गया है। शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और गांव की आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इंसान की सबसे प्रिय चीज अपनी मां होती है क्योंकि उसके उदर से वह जन्म लेता है और मां के बाद जो जिंदगी भर इंसान को खिलाती है वह भूमि होती है क्योंकि उसमें अनाज पैदा होता है और उस पर इंसान जीता है। इसके बारे में मान्यवर, मुझे एक शेर याद आया है:

'मेरा तेरा झगड़ा कैसा एक आंगन की मिट्टी है

अपने बदन से छू कर देखो मेरे बदन की मिट्टी है।'

तो वही बात है। उस मिट्टी के हम सब हैं। तो अगर हम उस मिट्टी का भी व्यापार करने जा रहे हैं तो यह हमारे लिये बदकिस्मती की बात है। उस मिट्टी का, उस मां का, उस मातृभूमि का जो व्यापार हो रहा है, उसकी बाजार में जो नीलामी हो रही है इसको रोका जाये, इतना ही प्रश्न प्रस्तावक महोदय ने हमारे सामने रखा है। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा और कोई अच्छा प्रस्ताव हो ही नहीं सकता है। यह हमारे देश की मूलभूत समस्या है और अगर इसको रोका जा सकता है तो इससे हमारे देश का सारा भ्रष्टाचार भी खत्म हो जायेगा। आधा भ्रष्टाचार तो हम इसके जरिये से ही खत्म कर सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप मेरे से सीनियर हैं, आप राजनीति में रह चुके हैं। आप महाराष्ट्र...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): अभी भी हूं।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव: मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं।... (व्यवधान)... मैं तो चाहता हूं कि आप इस कुर्सी से आगे की कुर्सी पर चले जायें। हमारी शुभकामनायें आपके साथ है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आप नागरिक व्यवस्था के भी मंत्री थे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): When this Act was there, I was the Minister of this Department.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Therefore, I am stating this उस डिपार्टमेंट के आप मन्त्री रह चुके हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की क्या समस्याएं हैं। यह समय अब आ गया है कि हम अपनी पार्टीज, स्वार्थ, राजनीतिक बातों को एक तरफ रख कर उनको कृष्णार्पण कर दें या गंगार्पण कर दें। राम तेरी गंगा मैली हो गयी, पापियों के पाप धोते-धोते, अगर हम भी अपने पाप इसमें धो देंगे तो हमारे पाप भी धुल जायेंगे। इसलिये हम सबको सभी मतभेद भुलाकर के आपस में बैठ कर के सोचना चाहिये कि हमें देश को कैसा बनाना है और इसकी मूलभूत समस्यायें क्या हैं। यह देखने के बाद हमें दुख के साथ कहना पड़ेगा कि गये 40 साल में हमारी सरकार ने कोशिश करने के बावजूद भी यह जो लोकतांत्रिक ढांचा है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें ज्यादा कुछ हम नहीं कर पाये हैं। हमें बोलने का मूलभूत अधिकार है। अगर मैं यह बोलता हूं तो मेरे खिलाफ दूसरा आदमी आ कर बाहर जाकर किसी दूसरे प्लेट फार्म पर बकवास करता है। अगर कोई राष्ट्रीय समस्या उठाते हैं तो दूसरे आदमी उसका विरोध भी करते हैं। गांधी जी ने हमारे देश को आजादी दिलाई लेकिन एक आदमी ने उठ कर उनकी हत्या कर दी। दुनियां के हर देश में ऐसी घटनायें होती हैं मगर मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अनुशासन जरूर होना चाहिये। जब इस लिहाज से हम सोचते हैं तो बहुत सी गम्भीरता से हमें इस समस्या की तरफ देखना चाहिये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से तथा नेतागण से कि यह जो नागरिक समस्या है भूमि की उसके बारे में जरूर कानून लाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि आबादी बढ़ती जा रही है। पुराणों में यह है कि हमारे देश में 33 करोड़ देवता थे। 33 कोटि का मतलब यह था हर इंसान में जो आत्मा है वह देवता के समान होती है। जब आत्मा पवित्र होती है तो वह भगवान का रूप होता है और जब दूषित होती है तो वह राक्षस का रूप होता है। हिन्दुस्तान की आबादी 33 करोड़ उस जमाने में थी और सब लोग अच्छे आचरण के थ। इसलिये सब 33 कोटि देव बन गये। अब तो हिन्दुस्तान की आबादी 80 करोड़ हो गई है पता नहीं वह देव हैं या राक्षस बन गये मैं इस के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। मगर हमें ऐसे साबुन की जरूरत है जो हमारे दिल की मैल जो बरसों से बैठी हुई है उसको साफ कर दे। इसलिये इस लिहाज से हमें अब क्या करना चाहिये इसके बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिये। अगर इस तरह से हमारी आबादी बढ़ती गई तो अगले 50 साल के बाद यदि हम सब के लिये मकान बनवाने की सोचें तो हमारी एग्रीकल्चर के लिये एक बीघा जमीन भी नहीं रहेगी। अब ऐसी अवस्था आ चुकी है जिससे फिर वही बात आ जाती है आबादी को कंट्रोल करने की पापुलेशन को कंट्रोल करने की फिर मैं वही बात कहूंगा कि इन सारी समस्याओं के साथ यह आबादी का सवाल जुड़ा हुआ है। अगर हमें इस समस्या को हल करना है तो हमें यह निश्चित करना होगा कि हम को क्या कदम उठाने हैं। जब कदम उठाने की बात आती है तो जाधव साहब के पास 50 एकड़ जमीन है तो उस में से पांच एकड़ रख कर के 45 एकड़ देनी होगी तो मैं उसमें अलग टांग मारने की कोशिश करता हूं क्योंकि इसमें हर एक का अपना-अपना इंट्रेस्ट होता है। इसलिये जैसे हमारे देवता लोगों ने कहा है कि अगर सुधार करना है तो पहले अपने घर से शुरू होना चाहिये। यह तय करके जब हम इस के बारे में प्रस्ताव पास करेंगे अपने आप इसके लिये हमें अपने दिलों को मजबूत बनाना है चाहे फायदा हो या घाटा हो मगर

हमें यह बात करनी है हमें यह निर्धारित करना है तो हम यह सब काम कर सकेंगे। अभी देशमुख साहब हमेशा सदन में बोलते हैं तो नासिक की नागरिक समस्याओं या शहरी समस्याओं को हमेशा उठाते हैं। उन्होंने अपने बाजू में देखा है कि क्या हो रहा है और बड़े-बड़े उद्योगपति क्या करते है। एक उद्योगपति कारखाना बनाता है तो वह क्या करता है। औरंगाबाद बहुत बढ़ रहा है। कहते हैं एशिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग यह शहर है। औरंगाबाद की अजंता और एलोरा केव्ज, इंटरनेशनल एअरपोर्ट होने जा रहा है और सारे देश के आन्ट्रप्रानर्ज वहां जा रहे हैं क्योंकि बम्बई बहुत नजदीक है। बम्बई जितनी महंगाई भी औरंगाबाद में नहीं है। एयर वर्थ में हैदराबाद और बम्बई के बीच में आता है। मगर एक इंडस्ट्रीयलिस्ट जब जमीन खरीदता है तो वह 150 एकड़, 100 एकड़ या 200 एकड़ खरीदता है या 300 एकड़ जमीन खरीदता है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री मुस्तफा बिन कासिम) पीठासीन हुए।]

क्योंकि ये उद्योगपति बहुत होंशियार लोग होते हैं। अगर कारखाना चला ही नहीं तो सौ डेढ़ सौ एकड़ जमीन जो है उसको 5 सौ या हजार रुपये गज से बेंच देंगे और कारखाना लगायेंगे दो करोड़ में लेकिन सौ या दो सौ करोड़ रुपये भूमि में से निकाल लेंगे। यह जो उनके दिल का कालापन है यह हमें जानने की जरूरत है और सारे उद्योगपति यही करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सारे लोग चोर हैं। कुछ उद्योगपति टाटा के जैसे भी हैं। पता नहीं उन्होंने कितना इन्कमटक्स चुकाया या नहीं यह तो आया था सदन में, मगर अच्छे तरीके भी अपनाये, अपने देश में टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल साइंटिफिक रिसर्च, बम्बई ने अच्छा काम किया है। डा. भाभा उनके प्रोडक्ट थे। मगर इन सबकी तरफ एक राष्ट्रीय प्रवित्त होनी चाहिये उद्योगपतियों की।

अभी सी पी आई (एम) वाले नहीं हैं पता नहीं उनको साम्यवाद से कितना प्रेम है या समाजवाद से कितना प्रेम है। हमें हर बात पर सीलिंग लगाने की जरूरत है। मैं तो इस विचार का आदमी हूं कि हमारे देश में जो 30 बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने 30–40 हजार करोड़ रुपये का धन इकट्ठा किया है उनकी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाये। यह उनके बाप की जायदाद नहीं है। यह गरीबों के खून पसीने की, मेहनत की कमाई है जिनको ये लोग रात दिन लूट रहे हैं। इन लोगों की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करें इसमें कोई पाप नहीं है बल्कि यह बहुत बड़ा पुण्य होगा। राम ने रावण का वध किया था, कृष्ण ने कंस को मारा, अर्जुन ने महाभारत किया। आज के दुर्योधन राज्य करने वाले नहीं, आज के दुर्योधन वे हैं जो गरीबों का खून पसीना पीते हैं। आजादी के जमाने में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारे देश में ऐसे राक्षस पैदा होंगे। मगर बदकिस्मती इस देश की है कि एक आदमी अच्छा हो जाता है उसके बाद फिर कलियुग शुरू हो जाता है। तो ऐसे कलियुग की बातें जब यहां चल रही हैं और उस लिहाज से हम सोचते हैं तो कुछ तो इनके बारे में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस दष्टि से यह बहुत जरूरी है कि पहले नागरिक समस्याओं के बारे में हमें सोचना है। हम नागरिक समस्याओं का हल नहीं कर सके हैं। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि हमारे देश के सारे बड़े बड़े समाचार पत्र, बड़े घरानों ने रखे हुये हैं। कोई टाटा से संबंधित है, कोई बिड़ला से संबंधित है, कोई गोयनका से संबंधित है। वे सरकार का समर्थन करते करते भी अपने इंटरेस्ट का समर्थन सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसे तरह से सरकार को मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं कि उनकी घरानाशाही हमेशा चलती रहे। जब ऐसा चल रहा है तो फिर गांधीइज्म कहां से लें, नेहरूइज्म कहां रहेगा। इंदिरा गांधी जी ने 1981 में कहा था, जब भूमि की समस्या उठी, कि किसानों की भूमि का मुआवजा बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ज्यादा मिलना चाहिये। मगर हमारे देश में किसी के दिल में कुछ अच्छी बात आई भी तो वह कुछ नहीं कर सकता। गांधी जी के दिल में यही था कि आजादी मिलने के बाद इस देश में जो आर्थिक विषमता है उसको नष्ट किया जाये, जो धार्मिक भेदभाव है, कोई अछूत है, कोई स्पर्श्य है, कोई अस्पृश्य है इन सबको खत्म किया जाये तथा आर्थिक विषमता को दूर करने की लडाई इस देश में शुरू की जाये। गांधी जी यही चाहते थे मगर हमारे देश में जो ऊपर बैठने वाले

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

महानु हैं, सारे ज्ञान की ठेकेदारी लेने वाले लोग हैं उन्होंने गांधी जी की हत्या करवा दी। आज कोई भी अच्छी बात कहता है चाहे इंदिरा गांधी ने कही हो, महात्मा गांधी जी, जान० एफ० कैनेडी ने कही हो, दुनिया का यह रिवाज है कि उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि जो उच्चतर समाज है वह डर जाता है कि अगर इस आदमी की क्रांति यशस्वी हो जायेगी तो हम आगे चलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी लिए गांधी जी से लेकर इंदिरा गांधी तक अच्छे लोगों की हत्या की गयी।

आजादी की लड़ाई 5 स्टार होटलों के एयरकंडीशंड कमरों में बैठ कर नहीं लड़ी जाती है, आजादी की लड़ाई, आजादी की जंग लड़ी जाती है हमारे भारत के ग्रामों में किसानों के खेतों में, आजादी की लड़ाई गांधी जी ने किसानों के संगटनों की जान पर लड़ी।

एक बात मुझे याद आ गई। वसंत दादा पाटिल के समय में उनका 70वां जन्म दिवस था। समाचार-पत्रों ने इतनी आग लगाने की कोशिश की कि कांग्रेस के खिलाफ दादा अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं। उनके भाषण का एक सेंटेंस मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वह मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने शुरू ऐसे किया कि जब गांधी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया चम्पारन में, तो उनके साथ राजेन्द्र प्रसाद थे। वह बहुत बड़े हमारे देश के नेता थ। राजेन्द्र प्रसाद का जन्म पटना में हुआ था। शायद वह किसान होंगे, मुझे तो मालूम नहीं, मगर उन्होंने गांधी जी को पूछा कि बापू आप लड़ाई चम्पारन से क्यों शुरू कर रहे हैं?

तो गांधी जी ने राजेन्द्र बाबू से कहा कि बात ऐसी है कि अगर हमें यह लड़ाई जीतनी है, अगर हमें आजादी हासिल करनी है, अगर किसान नहीं हैं, तो कांग्रेस नहीं होगी, अगर कांग्रेस नहीं होगी तो किसान नहीं होगा। यह गांधी जी ने कहा था और इसीलिये आज भी यह बात सच है कि हमारे किसानों को अलग-अलग लोग, अलग-अलग प्रकार के रास्ते दिखा कर बहकाने की कोशिश कर रहे हैं।

उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा है। जब तक किसानों को आर्थिक लाभ नहीं मिलता—तीस-चालीस साल उन्होंने हमारी इंतजार कि—अगर मेरी जगह आज कोई कहता है कि मैं आपको न्याय दिलाता हूं, वह न्याय तो दिला नहीं सकता, मगर गुमराह तो जरूर कर सकता है। तो वह बेचारे उसके पीछे ही हो जाते हैं। इसलिये मेरा काम जो चालीस सालों में मैं नहीं कर पाया, वह दादा ने कहा था—मुझे पता नहीं कि मैं भी कर पाऊंगा या नहीं, मगर मैं बहुत ही ईमानदारी और प्रमाणिकता से कहता हूं कि हमारे युवा प्रधान मंत्री, राजीव गांधी के नेतृत्व में हम किसानों की लड़ाई इस देश में जरूर लड़ेंगे। और सारी लड़ाई यही है।

अगर किसान की लड़ाई लड़नी है, तो किसान का और भूमि का कितना संबंध है, जैसे मिट्टी का और बदन का है, मां और बेटे का है, यह भूमि—पुत्र की ही भूमि अगर लील गई, अगर पुत्र की भूमि का ही नीलाम होने लगा बाजार में, तो कैसे लड़ेंगे।

मुझे मालूम है कि हमारे देशमुख साहब और हमारे विचारों में बहुत दफा अन्तर भी होता है, मगर उसका प्रिंसिपल एक है, सिद्धांत एक है, हमारे तत्व एक हैं, कि जो भूमि किसानों की है, वह उनको ही मिलनी चाहिये, उस किसान को नहीं जो घर में बैठ कर हजारों गुलामों को रुलाकर अपनी खेती करता है। उसको मैं किसान नहीं कहता। किसान वह है जो अपनी भूमि में अपने हाथ से हल चलाता है, वह किसान है और हमारे यहां वैसे भी किसान कितने है?

उसकी तहसील में अगर गये, तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश में 47 प्रतिशत जो किसान हैं, या रूरल पापुलेशन है, वह एक हैक्टर से बिलो होल्डिंग का है, 47 प्रतिशत और सिर्फ 7, 8 या 10 टक्का तक का जो किसान है, वह बड़ा किसान है। वह 7 प्रतिशत भूमि 47 प्रतिशत लोगों के

पास है। आज हमें उनकी भी लड़ाई लड़नी है और यह सारा व्यवहार कहां हो रहा है। यह जो 47 प्रतिशत भूमि वाले किसान, जिनके पास 7 टक्क जमीन है, पहले वह छीनी जा रही है, उसके बाद उससे बड़े किसानों की जो होगी, उनकी भूमि छीनी जाएगी और फिर क्या होगा कि एक तरीके से अंग्रेजों ने राज किया, अभी जो आर्थिक सम्राट पदा हुए हैं, वह दूसरी तरह से राज करना चाहते हैं।

एक बात तो उन्होंने स्वीकार की है और उसमें काफी उनको विजय भी मिल चुकी कि हमारे देश में काले धन की एक पैरलल इकानमी तैयार हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 56 हजार करोड़ रुपये का काला धन हमारे देश के व्यवहार में चल रहा है, जब कि हमारे देश का नेशनल बजट 60 हजार करोड़ है और उसमें से 4—5 हजार करोड़ का डेफिसिट अगर हमने निकाल दिया, तो काला धन और हमारे देश की सरकार का जो बजट है, वह बराबर है।

तो इससे काम नहीं बनेगा। यह जो काला धन कमाने वाले चोर हैं, उसका बंदोबस्त हमको करना चाहिये। हमारे गुजराती में बोलते हैं कि यह जो झाड़ी में बैठे हुये शंकराचार्य हैं, उनके बाल पकड़ कर हमें उन्हें निकालना है और बाहर जमीन की तरफ फेंकना है। तब हम अपने देश में कुछ काम कर सकेंगे, कुछ क्रांति कर सकेंगे और यह जो सारे लोग हैं, वह नागरिक बस्तियों में जाकर बैठे हुये हैं। अब उनको पता चला है कि देहातों में कुछ रहा नहीं है अब देहातों में फिर इरीगेशन आ जाएगा। अगर हम जब सोचेंगे कि कृषि मूल्यों को भी अच्छी तरह से दिया जाए, रेम्युनरेटिव प्राईस दिया जाए, तो मुझे डर है कि सारी भूमि लने के लिये वह नागरिक क्षेत्र में बैठे हुये जो बड़े लोग हैं, वह आकर हमारी भूमि खरीद न लें और उसका भी बाजार न करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MOSTAFA BIN QUASEM): Mr. Jadhav, please try to conclude. You have already spoken for 25 minutes.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Okay.

तो इस लिहाज से जब हम सोचते हैं तो यह समस्या बहुत ही गम्भीर है। उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण व्यवस्था की दुर्दशा और शहरों में बढ़ता हुआ स्लम ये बहुत ही भयानक समस्यायें हमारे सामने हैं। इन समस्याओं की तरफ देखते हुये हम ऐसा लगता है कि शायद भारत का क्या होगा? आज जब बम्बई शहर में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि 50 प्रतिशत जनसख्या स्लम में रहती है। स्लम में कैसे लोग रहते हैं? आपको को ताज्जुब होगा कि झोपड़-पट्टी में रहने वाल जो लोग हैं उनके पास टी०वी० भी है और ट्रांजिस्टर भी है और सुख के सा साधन है फिर भी वे अपन घर नहीं खरी सकते क्योंकि घर बहुत मंहगा हो चुका । तो हमारे देश का साधारण मनुष्य अपने आर्थिक उत्पन्न से जो साल का है उससे कहीं भी एक गज जमीन भी नहीं खरी सकता। हमारी हालत तो ऐसी है कि द गज जमीन भी नहीं मिली दफन के लि ऐसी बात हो चुकी है। अभी आप दिल्ल बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में देखिये वह 25 साल पहले कितना क्षेत्र था और आज कितना क्षेत्र हो चुका है। अभी सारा महाराष्ट्र जो बसा है बम्बई से पूना तक 192 किलो मीटर में पूना से नासिक तक और नासिक से बम्बई तक ऐसा एक ट्रायएंगल तैयार हो चुका है, वेस्टर्न रेलवे, सेन्ट्रल रेलवे ऐसेसे200 किलोमीटर में सारे महाराष्ट्र की आधी से ज्यादा आबादी रहती है क्योंकि बम्बई में, पूना में, नासिक में अन्य जगहों से रोजगार मिलता है, कुछ तो खाने को मिलता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद होने के रास्ते पर है। अभी हामर कालिंग अटेंशन आया था कल्पना राय जी का गन्ने के मामले पर, यह सिर्फ गन्ने की बात नहीं है मगर कहने की बात यह है कि खेती का धंधा पूरा खत्म होता जा रहा है क्योंकि हमारे खेती का जो उत्पादन है द सौ रुपये क्विंटल किसान बेचता है और द हजार रुपये क्विंटल से वह वापस लेता है। यह है विषमता। अगर ऐसे ही एक्सप्लोयटेशन हमारे देश में चलता रहा तो यह ग्रामीण अर्थ व्यवस्था एक दिन खत्म हो जाएगी। साथ ही अर्बन या नगरीय अर्थ व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। अगर इस विनाश की तरफ जाने से टलना है तो जरूरी

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

है कि हम इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचें। जैसे बम्बई की बात है वैसे ही दिल्ली की बात है। अभी कोई भी सोसायटी बनाए तो कोई बंगला तो नहीं बना सकता। मैं भी चाहता हूं कि किसानों की भूमि घर बनाने के लिए नहीं लेनी चाहिए अगर हम किसानों की भूमि लेते रहे तो फिर अपना मद्रास बढ़कर कन्याकुमारी तक जायेगा और बम्बई बढ़कर हैदराबाद तक जाएगी। उसमें कोई सीमा नहीं रहेगी। उसमें हमें क्या करना है? उपसभाध्यक्ष महोदय, जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था साउथ कोरिया में उसमें आते वक्त मैं सिंगापुर में आया और वहां जो मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि वहां पर सरकार ने एक कानून बनाया है। उसके अंतर्गत कोई भी बिल्डिंग 16 स्टोरी से नीचे नहीं है और 80 परसेंट लोगों को चाहे कोई टैक्सी ड्राईवर हो, उनको उन्होंने घर दिए हैं। इस प्रकार उन्होंने जमीन के मसले से छुटकारा पाया है। अपने देश में भी हमें यही करना है। अभी हम ए उद्योग बढ़ रहे हैं हमारे सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पावर जेनरेशन बढ़ रही है। अभी बहुत जरूरी है कि अर्बन एरिया में म्युनिसिपल कार्पोरेशन्ज या म्युनिसिपैलिटीज के लिमिट में अभी कोई नई भूमि नहीं देनी चाहिए, मगर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंगें बनें, 4 टू 16 स्टोरीड बनाने के लिए सोचना चाहिए, इट इज़ पासिबल। अगर ऐसे ही भूमि बांटते गए तो हमारी कृषि पूरी तरह से संकट में आ जाएगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री मुस्तफा बिन कासिम) : प्लीज कन्क्लूड।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी एक नई जमात, एक नई जात शहर में आगे आई है और इसे बिल्डर्स कहते हैं। वह बिल्डर्स इतना काला धन कमाते हैं कि एक फलेट जो दो लाख रुपए में बनाते हैं, उसे दस-दस लाख तक बेचते हैं, जबकि उसको करना-धरना कुछ नहीं होता, मजदूर काम करते हैं, फेक्टरी में से सारा सामान लाते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं। तो इन बिल्डर्स पर भी कुछ सीलिंग होना चाहिए। इन बिल्डर्स की भी आप हर सिटी में चाहे बंबई हो या दिल्ली हो या कलकत्ता हो एक लिस्ट बनाइए, उनके इन्कमटैक्स रेट्स कीजिए और देखिए कि वह इन्कम-टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं। इन पर आप कुछ सीलिंग लगाइए, कुछ लगाम लगाइए तो कुछ परिवर्तन आ सकता है, अनुशासन आ सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमने रूरल सीलिंग, एग्रीकल्चर सीलिंग तो बड़ी स्ट्रिक्ट बनाई है। इसमें मेरा ओपीनियन यह है कि कानून तो बना डाला लेकिन उसका अमल अच्छी तरह से हम नहीं कर पाते। अगर कानून का अमल अच्छी तरह से कर पाते तो इतनी जमीनें आज भी नहीं रहतीं। महाराष्ट्र में यह समस्या बहुत कम है क्योंकि हमारे पास होल्डिंग बहुत कम हैं और जिस क्षेत्र में होल्डिंग थीं भी मराठवाड़ा और विदर्भ में, वह पहले ही लोगों को बांट दी थी मगर बिहार है और कोई स्टेट है वहां अभी भी इतने बड़े-बड़े जमींदार हैं जो कि कुत्ते या बिल्ली के नाम से जमीन करते हैं और अपने पास जमीन रखते हैं। तो मैंने उसका समर्थन नहीं किया। मगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हमारी खेती पर सीलिंग क्यों है जबकि आपने बड़ी-बड़ी जायदाद पर सीलिंग नहीं रखी? उन पर सीलिंग क्यों? एक आदमी 25 स्टोरीज बिल्डिंग अपने पास रख सकता है, आप जानते हैं उसकी कीमत क्या होगी? अब ओबेराय शेरेटन 25 करोड़ रुपए का है और ताइवान 50 करोड़ की कीमत का होगा। अब एक आदमी हो या कंपनी हो, वह तो पचास-पचास, साठ-साठ करोड़, की संपत्ति इकट्ठी कर सकता है, मगर गरीब बेचारे किसान की अगर 18 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी तो उस पर आप सीलिंग लगाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह सीलिंग नहीं होनी चाहिए, मगर अरबन सीलिंग और रूरल सीलिंग, ग्रामीण और नगरीय सीलिंग में कोई मेल जोल होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें इसका संशोधन करना चाहिए कि एक आदमी को, उसके औरत और दो-तीन बच्चों यानी पांच लोगों को फेमिली के लिए, उसके रहने के लिए कितनी जमीन की जरूरत है, उसे जमीन के लिए कितना पानी चाहिए, उसकी क्या-क्या समस्याएं हैं, वह आनी चाहिएं। अगर एक परिवार के लिए दो लाख की जमीन है तो नगरीय सीलिंग भी दो लाख की होनी चाहिए और एक परिवार के लिए एक ही फ्लैट होना चाहिए या एक ही घर होना चाहिए, दस-दस फ्लैट नहीं होने चाहिएं। अब मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, नांदेड़ मेरा गांव है, यह एक छोटा सा शहर है और उसकी आबादी इस समय ढाई-तीन लाख हो गई है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है, हम यह तो समझ सकते थे कि वहां कोई व्यापारी आकर जमीनें खरीदे और बेचे, मगर राजनीतिक लोग, सभी पार्टियों के लोग, मेरी पार्टी से लेकर आपोजीशन पार्टी तक के लोग जमीन का धंधा करने लगे हैं। यह लोग अलग-अलग कंपनी बनाकर 50-50, 60-60 एकड़ जमीन ले रहे हैं, कोई चेरिटेबल के नाम से, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम से और उसका धंधा कर रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MOSTAFA BIN QUASEM): Please make it the last point. There are so many other speakers. You have already taken 33 minutes.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव: उपसभाध्यक्ष महोदय, घर बनवाने के लिए जमीन नहीं लेनी चाहिए, यह तो मैं कह चुका हूं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यावरण की समस्या है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा और अपना भाषण समाप्त करूंगा। आप देखेंगे, हमारे जगेश देसाई जो जानते हैं कि बंबई में चेम्बूर नाम का एक एरिया है, वह इतना थ जो पापुलेटेड है और वहां इतना इंडस्ट्रीज हैं कि लोग कहते हैं चेम्बूर गैस चेम्बर हो रहा है। वहां अगर आप देखें, वहां के लोगों की हेल्थ, वहां के वातावरण को तो आप को भी लगेगा, हमें तो शर्म लगती है कि वहां लोग जीते कैसे हैं? वहां इतना पर्यावरण हमने बुरा कर दिया है। मान्यवर, पर्यावरण, वृक्षारोपण और फारेस्टरी की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और इसके बारे में हमें गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। तो मेरे मित्र देशमुख जी ने जो यह प्रस्ताव लाया है, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं और आपके जरिए अपने परम मित्र दलबीर सिंह जी, जो यहां बैठे हैं, उनसे दरखास्त करता हूं कि एक ऐसा संयुक्त विधेयक लाएं, जिसमें सारी बातें आएं और हमारे देश को इस गम्भीर समस्या से छुटकारा मिल जाए। इस समस्या का हम हल कर पाएं इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शंकर राव नारायण राव देशमुख के इस रेजोल्युशन का समर्थन करता हूं। वैसे तो शहरी भूमि और ग्रामीण भूमि दोनों की ही कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन ग्रामीण भूमि की कीमत उस रेशियो से नहीं बढ़ी जिस रेशियो से शहरी भूमि की कीमत बढ़ी है। हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है और इस देश के किसानों को, संस्कारों के कारण अपनी भूमि से बड़ा लगाव है, बड़ा मोह है। इसीलिए किसान जमीन को अपनी धरती मां कहता है। लेकिन किसान की इस धरती को कौड़ियों के दाम पर खरीद लिया जाता है और विकास के नाम पर थोड़ा सा पैसा खर्च करने के बाद जहां किसान को दो रुपए और चार रुपए प्रति गज के हिसाब से दाम मिलते हैं उसी जमीन को हजारों रुपए गज के हिसाब से फिर बेचा जाता है। यह जमीन फिर किसान को दो सौ रुपए गज के भाव से उसे रिहायशी मकान के लिए दी जाती है। उससे उतनी ज्यादा कीमत वसूल की जाती है जितनी कि किसान को सारी जमीन की कीमत नहीं दी जाती। इस प्रकार से दिल्ली के चारों तरफ किसान की सारी धरती को सरकार एक्वायर कर लेती है। यह जमीन खरीदी तो इस नाम

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

पर जाती है कि गरीबों को आबाद किया जाएगा, बसाया जाएगा लेकिन वह गरीब को देने के बजाय अमीरों को दे दी जाती है। चाहे वह नोएडा की सैकड़ों एकड़ धरती किसी महेश योगी को दी जाए जैसाकि माननीय सदस्य विकल जी ने बताया और चाहे मोदीपुरम की जमीन हो जोकि किसान से कौड़ियों के भाव लेकर मोदी को सैकडों एकड़ की संख्या में दे दी जाती है ताकि उद्योग को बढ़ावा मिले भले ही किसान कमजोर हो।

मेरे सम्मानित साथी यादव साहब ने एक बात कही कि महात्मा गांधी जी ने चंपारन के सत्याग्रह को लेकर एक बात कही कि अगर किसान है तो कांग्रेस है। मैं अपने सम्मानित साथी विकल साहब से सहमत हूं कि गांधी जी के सपनों की कांग्रेस और गांधी जी के सपनों का भारत आज नहीं है। वह तो स्वीडिश बैंकों में चली गयी और इस धरती की सारी दौलत स्वीडिश बैंकों में जमा करा दी गयी। यह बात तब कही गई थी जब किसी ने व्यवधान किया था कि वह पैसा कहां चला गया। युग बदल गया है। आज मोहनदास करम चंद गांधी का युग नहीं है, राजीव गांधी का युग है। इसलिए किसान को लूटकर बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को उसकी कीमत पर बढ़ावा दिया जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार सही मायने में किसान की मदद करे इसके लिए इस कानून में संशोधन करना पड़ेगा। किसान को जो धरती खरीदी जाय उसको उसी रेसियो से पैसा दिया जाय। बिचौलियों द्वारा धरती के नाम पर सरकार को बेइंतहां नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पांच लाख की धरती पांच हजार में खरीदी जाती है ताकि रजिस्ट्री कम की हो। उससे एक तरफ तो किसान को नुकसान होता है कि उसकी जमीन की कीमत उसी हिसाब से कम हो जाती है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी और बड़े-बड़े प्रोपर्टी डीलर्स की तिजोरियों में ज्यादा पैसा चला जाता है और सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है क्योंकि शहरी भूमि पर प्रभावी कानून लागू नहीं है। इस देश में दो किस्म के कानून हैं। "सबै भूमि गोपाल की।" इसे भी रूरल और अर्बन दो हिस्सों में बांट दिया गया है। जो किसान चौबीस घंटे कड़ा परिश्रम करके फसल तैयार करता है, आज वह धरती छोड़ने पर मजबूर हो गया है। उसकी खेती की पैदावार से उसे मुनासिब दाम नह मिल रहे हैं। कर-कारखानों में जो चीज बनती है और रोजमर्रा इस्तेमाल में आती है, बड़े-बड़े औद्योगिक घराने आज सरकारी मशीनरी से मिलकर, सरकार से मिलकर अपने कारखानों में बनने वाली चीजों के दाम जब चाहे बढ़ा लते हैं। चाहे लोहा हो या सीमेंट हो, चीनी हो या कपड़ा हो, जरूरियाते जिन्दगी की जितनी चीजें हैं, खाद हो या कीड़े मारने वाली दवाइयां हों उन के दाम रातों रात बढ़ जाते हैं और किसानों की उपज का दाम बढ़ाने का जब मौका आता है तो वे दाम नहीं बढ़ते हैं। अभी कल्पनाथ जी और वीरेन्द्र वर्मा जी गन्ने के दाम बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो चाहे गन्ने का दाम बढ़ाने की बात हो या चावल या गेहूं या चना या दाल के दाम बढ़ाने की बात हो, उसमें सरकार अपनी फराखदिली दिखा कर एक या दो या तीन रुपया प्रति क्विंटल दाम बढ़ा देती है, लेकिन जरूरियाते जिन्दगी की दूसरी चीजों के दाम यही सरकार 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से बढ़ा देती है। यही प्रथा इस देश में प्रचलित है जिस के कारण किसान कमजोर होता चला जा रहा है और गांव उजड़ते जा रहे हैं। जहां 1970 में शहरी आबादी 19% थी वह बढ़कर 29% हो गई है। जहां पहले देहातों की आबादी 81 प्रतिशत थी वह आज घट कर 71 प्रतिशत रह गयी है और गांव इसलिये उजड़ते जा रहे हैं कि शहरों का विकास होता जा रहा है। आज गांवों में सड़कें टूटी हुई हैं। वहां स्कूल नहीं हैं। उन स्कूलों पर छतें नहीं हैं। उनमें बैठने के लिये फर्श नहीं है। ब्लैक बोर्ड नहीं हैं। बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, कापियां नहीं हैं। आज

किसान की सेहत का ध्यान सरकार को नहीं है। वहां डाक्टर नहीं हैं, कंपाउंडर नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं और इसीलिये गांव उजड़ते जा रहे हैं। गांव के लोगों की धरती खरीद ली जाती है और दिल्ली तो अपने अड़ोस-पड़ोस को ही खा गया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की 50, 50 मील की जमीन दिल्ली हड़पने में लगी हुई है और वहां गांवों का शहरीकरण किया जा रहा है और शहरों में भी दो किस्म की बात होती जा रही है। अमीर लोगों के पास, जिन के पास साधन हैं उन को और तरह की सुविधायें प्रदान की जाती हैं और दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जिन की बुरी हालत है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले एक साथी ने कहा था कि हरित क्रान्ति के नाम पर सारे देश के किसानों को उपज बढ़ाने का हौसला दिलाया गया लेकिन शहरों में जब आबादी बढ़ जाती है तो उस में ग्रीन बेल्ट के जो प्लाट दिखाये जाते हैं उन को भी रिहायश के लिये बेच दिया जाता है। गांव के किसान की जमीन उन से ले ली जाती है और जिस किसान की धरती ली जाती है उस को उस के पूरे दाम भी नहीं दिये जाते। इस बात के जीते जागते सबूत हैं। जिस किसान की जमीन एक्वायर की जाती है उस के लिये जब वह निचली अदालत में जाता है तो उसकी दो रुपये के हिसाब से खरीदी जाने वाली जमीन का मुआवजा बढ़ा कर उस को 20, 25 रुपये के हिसाब से दिलाया जाता है। जब वह हाईकोर्ट में जाता है तो उसका मुआवजा 30, 35 रुपये कर दिया जाता है और अगर वह उस के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां उस को 40, 45 या 50 रुपये गज के हिसाब से उस का दाम मिल जाता है। जिस जिस रेश्यो में वह ऊंचे कोर्ट में जाता है उस रेश्यो में उसका दाम उसको ज्यादा मिलता जायेगा। तो पहले ही हम ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि किसान को जो जमीन का मोह है वह पूरी तरह से खत्म हो और उस को अपनी जमीन का कायदे का दाम पहले ही मिल जाय। लेकिन कानून ही ऐसे बनाये जाते हैं कि जिससे गांव का आदमी कमजोर हो रहा है और इस नजरिये से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां किसानों को उन से ली गयी जमीन में से ही दो सौ गज का प्लाट दिया जाता है तो उस की कीमत थोड़े से विकास के नाम पर खर्च होता है उस की वजह से हजारों रुपया बढ़ा कर ली जाती है। कम से कम यह सुविधा तो प्रदान कीजिए कि जिस भाव से उसकी जमीन खरीदी जाए कम से कम उसे रियायती दाम पर प्लाट जरूर मिलना चाहिए। ऐसा न करना भी उसके साथ एक प्रकार से अन्याय है। आज किसान के ऊपर एक सीलिंग लगी हुई है कि किसान 17 एकड़ से ज्यादा धरती नहीं रख सकता लेकिन उसके मुकाबले दिल्ली में फार्म हाउसेज के नाम पर 300-400 एकड़ जमीन लोग हथिया कर बैठे हुए हैं। उनके साथ इस प्रकार की रियायत क्यों है? दो किस्म का कानून हर स्तर पर हम को दिखाई देता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के कानूनों में संशोधन किया जाए ताकि इस कृषि प्रधान देश के किसान की पूरी तरह से लुटाई न हो सके।

भूमि के लेन-देन में भी व्यापक भ्रष्टाचार है। इसी सन्दर्भ में एक और अर्ज करना चाहूंगा कि 1976 के नगर भूमि अधिनियम में संशोधन किया जाये ताकि अधिकतम सीमा से बचने के लिए लोग किसी भी प्रकार की व्यवस्था न कर सकें। वर्तमान अधिनियम, 1976 का कोई लाभ नहीं है क्योंकि लोगों ने फर्जी गृह निर्माण के नाम पर सहकारी समितियां बना कर के थोड़ी जमीन पर ज्यादा पैसा कमाने की कुचेष्टा की है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि किसानों से इस प्रकार की जमीन लेकर आप शिक्षा संस्थाओं को दीजिए या सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए दीजिए। कुछ लोगों ने इस प्रकार का धंधा बना लिया कि सस्ती जमीन किसानों से खरीद कर कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं और सहकारी समितियों के नाम पर दूसरे लोगों को लूटते हैं। इस पर सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए।

हमारा यह देश कृषि प्रधान देश होने के कारण यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

है और निर्धनों की सहायता के नाम पर उसका अधिग्रहण किया जा रहा है। किसान की सारी की सारी जमीन सस्ते दाम पर लेकर महंगे दाम पर बेची जा रही है। किसान को जो उसकी धरती का पैसा दिया जाता है वह 1/4 हिस्सा पैसा तो नकद दिया जाता है और 3/4 हिस्सा उसको बाद में देने की शर्त रखी जाती है। यह पैसा उसको 20 साल में मामूली ब्याज लगाकार देने की बात की जाती है। मेरा यह कहना है कि उस किसान का अगर 3/4 हिस्सा पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाये या इन्दिरा गांधी बांड के नाम पर आज अगर एक हजार रुपया जमा कराया जाए तो 16 साल के बाद उसको 16 हजार रुपये मिलेंगे लेकिन किसान के पैसे पर केवल मात्र मामूली ब्याज दिया जाता है। यह उसके साथ अन्याय है। आज जिस भाव से उसकी जमीन खरीदी गई उसका 3/4 हिस्सा सरकार के पास जमा रखा गया 20 साल तक तो उसको थोड़ा सा ब्याज मिलेगा। हमारा यह कहना है कि 20 साल के बाद जब उसे पैसे मिले तो उस वक्त के भाव से मिलना चाहिये ताकि किसान को कम से कम यह महसूस हो सके कि उसे मौजूदा भाव के मुताबिक पैसे मिलें। सरकार की गलत नीतियों के कारण एवं विकास की प्राथमिकताओं के गलत चयन के कारण लोग गांव से शहरों में भाग रहे हैं। गांव उजड़ते जा रहे हैं। आज हम जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं। 90 परसेंट गांव के लोगों से चुन कर आने के बाद भी हम गांव में बसना नहीं चाहते। गांव में रहने वाला शिक्षक, गांव में रहने वाला डाक्टर भी गांव में बसना नहीं चाहता। जब गांव के शिक्षित लोग गांव छोड़कर शहरों में आ जायेंगे तो लाजिमी बात है कि गांव में बसने वाले मोची, गांव में बसने वाले कुम्हार, गांव में बसने वाले लुहार, गांव में बसने वाले तरखान लोग जो हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। उस वजह से भी गांव उजड़ता चला जाएगा और शहर बढ़ता जायेगा। इसलिए मैं आप से अनुरोध करूंगा कि इस कानून में इस प्रकार से संशोधन किया जाए ताकि गांव और शहर में आपसी सन्तुलन कायम रह सके। गांव उजड़े नहीं। गांव का पैसा सिस्टामेटिक तरीके से मुट्ठी भर घरानों के हाथ में न जाए। इस प्रकार से संशोधन किया जाए यह मैं कहना चाहता हूं।

मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे समय दिया। मैं देशमुख जी का भी धन्यवाद करूंगा कि किसान मारू कांग्रेस पार्टी में रहकर भी एक आदमी तो ऐसा निकला जो किसान के हित में बात कर रहा है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि किसान की भलाई को ध्यान में रखते हुए किसान के हम प्रतिनिधि हैं, किसान की राय से हम यहां पर आये हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यह देश गांधी जी के सपनों का भारत बन सके, इसके लिए इस कानून में संशोधन करें, इससे किसान खुशहाल हो सकेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, I would like to go into the background of this Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, why it was enacted. It was the Congress Party which had decided that if the land is to be given for the purpose of housing for the weaker sections, the speculation in land should completely vanish and for this purpose there was only one way, that is, there should ceiling on the holding of the urban land. Madam Prime Minister Indiraji in 1976 brought this Act. At that time, in the beginning, people like me, like Shri Kalpnath Rai and others were very jubiliant because we wanted that there should be ceiling on the urban land. But what has happened in the last 10 or 11 years? I will come to that later on, but I completely agree with Mr. Deshmukh about the Central theme of his Resolution and that is, that the farmer should not be put to any difficulty. After all, farmers treat land as mother. They get the livelihood from land. Now within this Act come two or three types of land. Even the agricultural land which is 4-5 kilometres of the boundary of the urban area comes within this Act. Here I would like the Government to consider, not only consider but to accept, the proposition that as long

as the land is cultivated by the farmer personally or by his family members because he may be old and his sons may cultivate the land, that land should not be taken within this Act. We do not want the farmers to be put to difficulties and the industrialists benefit from that. I come from a similar area. I was elected from Santa Cruz constituency where there are thousands and thousands of hut dwellers. Among them are staying professors, teachers, industrial workers and pesons like me because we cannot get houses in Bombay without paying, what you call, *pugri*. So, the only weapon was that urban land should be taken in the hands of the Government and houses should be built. But what has happened? Sir, at that time I was also the Minister when this Act was enacted. We had prepared a scheme, but there were many lacunae in the Act. I do not know the reasons but till today that Act has not been implemented in the manner in which it should have been done. Why do we think like that? The reason is that we have to acquire surplus land and that surplus land must vest with the Government and if the Housing Boards or any other agencies are constructing houses, they should construct small tenements, and they must be for the common man for those who can afford that price. That is why, whatever scheme the Government might make in this behalf, no tenement will be for more than 260 or 280 square feet—consisting of one room, one toilet and one small kitchen. Then only this problem can be solved. But in the name of building cooperative flats, four to five bed rooms are being built. This was not the purpose of this Act. That is why I would earnestly request the Government that whatever land is surplus must be acquired. And what have you to pay? The maximum that you have to pay is Rs. 2 lakh only. In the city of Bombay, you have to pay Rs. 10 per square metre and if I have got 2 lakh metre land, then I will not get Rs. 20 lakhs; I will get only Rs. 2 lakh. That also, as Mr. Deshmukh has pointed out, one-fourth is to be given in cash and the balance will be paid through bonds within 20 years. That was so stipulated because at that time we could not find finances. Even that we have not taken advantage of. Government must acquire all the surplus land and build flats by themselves or through Housing Boards. If that is not possible, then we are going to have the National Housing Bank. That Bank can give finances for this purpose. Today I read a report in the *Times of India* that the Life Insurance Corporation has decided to give Rs. 100 crores to the Housing Boards for the purpose of housing and Rs. 120 crores to housing financial institutions. So Rs. 220 crores are going to be given by the LIC. But I am very sorry to point out that the nationalised banks are to give only half a per cent of the total lending for housing. This has to be increased. We require funds for the purpose of housing, for people who can afford small tenements—*i.e.* industrial employees, *gumashtas* and others who have to be provided with housing. Then only this problem can be solved; not otherwise. But under the guise of section 21, corruption is going on. Why don't you want to release land under section 21? That is the source of corruption. They give the land. All right, a cooperative society is formed. But it is not those real, genuine cooperative societies, but the builders who in the name of society get this land and then sell the flats to others at a very high cost. I will give you one example. In 1978, the flat which I purchased in Bombay was for Rs. 1,20,000 for 1000 sq. ft. In eight years, it has gone up eight times. What is the cost of construction? Even if it is a very good flat, and a good quality material is used, the cost of construction will not be more than Rs. 200 per sq. ft. But it is sold at Rs. 2000 sq. ft. Are we going to give this kind of profit to the builders? Was this the intention when we enacted this law? Then why this is not being implemented? I want a reply from the Government. What action have they taken to implement this Act in the manner in which is should have been implemented? Nobody in this House wants that this Act should be set aside, but what we want is that this Act must be given more teeth, by which you can implement it and give houses for the common man. In Bombay 50 lakh people are staying in slums. Are we going to provide houses for them or not? If they have to buy a tenement of 200 sq.ft., they

[Shri Jagesh Desai]

cannot get it for less than Rs. 2 lakh. Can they afford it? What was the purpose of the Act? It was to give housing for those people. But that is not being done. And that is why again schemes should be made by the Government, as I had told last time where finance is not available, those who are owning that land, should be asked to build houses within two or three years. You give a specification that 80 per cent of the construction should be of 60 sq. ft. tenements, and the remaining 20 per cent they can do according to their choice and they can sell that 20 per cent at whatever price they want. But this 80 per cent should be given to the Government. For that purpose, the land cost should be taken only at Rs. 10 per sq. metre, and the remaining cost should be the cost of construction. They should hand them over to the Government. Lots can be drawn. They can choose which people are entitled for that. Accordingly, they should allot. Then only this problem can be solved, not otherwise. That is why, the Government must prepare a scheme from now on. I felt that the Government was going in the right direction. But, still, Government has not done. Many State Governments—I would not name them—in the name of section 21, acquired village lands. The builders have built houses, and they have earned crores of rupees. That is where you have to come very heavily. See that either the State Governments should build or the Housing Boards should build. If you all cannot do it, you ask the LIC to build. They have got funds. They want to invest. (व्यवधान) बहुत कम करते हैं क्योंकि उनके पास जमीन नहीं होती क्या करें वे लोग। आज तक उनको कितनी जमीन दी है आप लोगों ने। यह कहना चाहता हूं कि जब तक इस कानून को आप ठीक ढंग से एप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको जमीन मिलने वाली नहीं है, हाउसिंग बोर्ड वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यह जरूरी है कि सब जमीन अपने कब्जे में लेनी चाहिए और हाउसिंग बोर्ड को कहना चाहिए कि आपको इस प्रकार के मकान बनाने पड़ेंगे, अगर वे नहीं बनाते हैं तो दूसरी संस्थाओं के जरिये ये मकान बनाने पड़ेंगे तभी यह काम हो सकता है। फार्मर्स के लिए जैसा मैंने बताया कि अगर वहां एन० ए० हो जाता है तो हम जो मुआवजा देते हैं उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। उनको 5 रुपए देने से काम नहीं होने वाला है। उनको इस तरह से देना चाहिये ताकि वे अपनी जिंदगी बसर कर सकें। इसके अनुसार ही उन्हें पैसा मिलेगा तभी यह हो सकता है। आखिर में हमें यह भी देखना है कि जो छोटे किसान हैं उनके ऊपर ऐसी कोई आफत तो नहीं है कि वे खत्म हो जायें, उनके जीवन का जो सहारा है वह भी खत्म न हो जाये।

इतना कह कर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर इस कानून में जो तकलीफें हैं उनको दूर करके इस सत्र में नहीं ला सकते हैं तो अगले सत्र में ऐसा कानून लायें जिसमें पुराने कानून की तकलीफें न हों ताकि जो जमीन है वह सरकार के हाथ में आये और उसका अच्छी तरह से हम उपयोग कर सकें ताकि हमारी हाउसिंग की जो समस्या है उसको हम हल कर सकें। इतना कहकर मैं देशमुख जी को धन्यवाद देता हूं कि वे इतना अच्छा प्रस्ताव यहां पर लाये और जैसा मैंने कहा कि काश्तकार को कोई तकलीफ न हो और शहरी विस्तार में जो लोग रहते हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हमारे जो समाजवाद की दृष्टि है उसको सामने रखकर अगर हम कदम उठायेंगे तभी यह प्रश्न हल हो सकता है। इतना कहकर मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपने विद्वान सदस्य श्री देशमुख जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक ऐसा प्रस्ताव उन्होंने रखा है जिसकी आज बहुत आवश्यकता थी। मान्यवर, यह जो वर्तमान विधेयक है नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976, जैसा कि

सदन को विदित है कि यह 1976 में पारित किया गया था। उस समय इस देश में आपातकाल स्थिति लागू थी और बहुत से सदस्य उन दिनों इमरजेंसी के कारण जेल में थे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद थे इसलिए वे विधेयक के वाद-विवाद में भाग नहीं ले पाये, शायद इसलिए भी इस विधेयक में बहुत खामियां रह गयीं। इसलिए इनके संशोधन की बहुत ही आवश्यकता है और इसी ओर इस प्रस्ताव के जरिए ध्यान आकर्षित किया गया है।

प्रस्ताव में जो बातें कही गई हैं उनमें से कुछ बातें, जैसे भूमि के लेन-देन और सौदों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस अधिनियम के कारण फर्जी गृह निर्माण सहकारी समितियां बन गयी हैं और भूमि की कालाबाजारी और फर्जी लेन देन में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त कृषि जो भारतीय व्यवस्था की मूल आधार है, शहरी निर्धनों की सहायता करने के बहाने पूरी तरह चौपट हो रही है। यह बात, आज जो हालत है, उसके अनुसार बिलकुल सही और सत्य है।

दिनांक 13 नवम्बर, 1987 को इस सदन के तारांकित प्रश्न संख्या 109 में जो राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग बनाया गया है, जिसने इस संबंध में भी अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं इस विधेयक में संशोधन प्रस्तुत करने के लिए, उसमें जो उन्होंने सिफारिशें की हैं, उसमें एक सिफारिश यह भी थी कि सारी फालतू खाली भूमि को शहरी विकास के लिए और विशेषकर आवास के लिए रिलीज की जानी चाहिये, जिसमें मध्यम तथा निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास पर विशेष बल दिया जाए।

मान्यवर, यह जो उनकी सिफारिश है, इस पर भी सरकार विचार करेगी ही, लेकिन पिछले वर्षों में जो अनुभव रहा है शहरों की जो खाली भूमि है, उसको लेने के लिए—इसकी सबसे बड़ी विपदा और विपत्ति किसानों के ऊपर आ रही है क्योंकि जो अधिकतम जोत है, उसके अनुसार भूमि ली जाती है और किसान को उसके लिए जो मुआवजा है, वह नहीं मिलता है और इसमें इस बात की भी व्यवस्था रहती है कि वहां जो व्यावसायिक केन्द्र बनेंगे, उसमें भी जिसकी भूमि ली जाएगी, उसका भी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिये कि वहां पर कोई फैक्टरी बनती है या व्यावसायिक संस्थायें बनती हैं, तो वहां पर दुकान करने के लिए भी किसान को भूमि दी जाएगी। लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जब यह भूमि ली गई है दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से, मान्यवर, तो एक तो सन् 1960 से कुछ *जगहों का मैं उदाहरण देना चाहता हूं*—जैसे तुगलकाबाद, जहां पर कि नेहरू प्लेस बना हुआ है, यहां पर साठ पैसे प्रति स्कुयर यार्ड भूमि ली गई थी, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा, कालकाजी, जहां पर आज कालकाजी जिला बसा हुआ है, यहां पर अढ़ाई रुपये प्रति स्कुयर यार्ड के हिसाब से भूमि ली गई थी। इसी तरह महरौली, जहां पर आज वसंत कुंज है, वहां केवल एक रुपया बीस पैसे प्रति स्कुयर यार्ड पर जमीन ली गई थी। उसी तरीके से लाडो सराय, जिस बस्ती को आज साकेत कहते हैं, वहां पांच रुपये प्रति स्कुयर यार्ड के हिसाब से भूमि ली गई थी। इसी तरीके से पालम गांव में, 4 अगस्त 1986 को, आज से केवल सवा साल पहले पालम गांव में जो भूमि ली गई वह तीन रुपये प्रति स्कुयर यार्ड के हिसाब से ली गई थी और यह सारी भूमि जो ली गई थी, इससे करीब-करीब दो लाख ग्रामवासी प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसके लिए जो वैकल्पिक प्लाट दिये गये हैं, जिसका कि कानून है, केवल 829 ग्रामवासियों को ही वैकल्पिक प्लाट दिये गये हैं जब कि इससे करीब-करीब दो लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जब से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस काम को शुरू किया है।

इसी सदन में अभी हाल ही में बताया गया कि किस तरीके से—यह मान्यवर, इसी सदन का तारांकित प्रश्न संख्या 216, श्री वीर भद्र प्रताप सिंह जी का था, 20 नवम्बर को उन्होंने यह पूछा था कि जमीन

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

की कीमतों में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, जो किसानों से भूमि ली जा रही है ?

इसका उत्तर दिया गया है कि वर्ष 1970 से पूर्व आवासी भूखंडों के भूमि मूल्यों में पचास से दो सौ रुपये तक प्रति वर्ग मीटर में भिन्नता थी । चालू वर्ष के प्रारम्भ में, यानी इस वर्ष आवासी भूमि के लिए निर्धारित बाजार दरें 858 रुपये से 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है-- आज की जो हालत है ।

तो, मान्यवर, मुझे यह कहना है कि जब किसान की जमीन आप लेते हैं तीन रुपये, किसान की जमीन लेते हैं डेढ रुपये में, किसान की जमीन ले रहे हैं छह रुपये में और दिल्ली विकास प्राधिकरण किसान की जमीन को लेने के बाद पांच हजार से दस हजार रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बेचता है, पर किसान को उसका क्या लाभ मिलता है ? किसान को बिल्कुल समझिये कि दुविधा का शिकार हो गया है । न तो उसको वैकल्पित प्लाट मिलता है--यदि वहां पर कोई व्यावसायिक केन्द्र बनता है, तो वहां पर उसे कोई दुकान नहीं मिलती है और न कहीं किसान के लड़के को कोई नौकरी मिलती है और मुआवजा भी किस तरके से देते हैं, इसका भी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं । यानी किस प्रकार से कितनी देर मुआवजे में होती है ? यहां पर गांव था हुमायूंपुर 3 सितम्बर, 1957 को नोटिफिकेशन हुआ सेक्शन 4 में 10 जनवरी, 1961 को नोटिफिकेशन हुआ सेक्शन 6 में और अवार्ड हुआ 10 जनवरी 1961 को एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने वहां पर अवार्ड किया 18-10-75 को और हाई कोर्ट ने दिया 12 दिसम्बर 1979 को यानी 22 साल हो गए । इसी प्रकार मान्यवर, केवल एक और उदाहरण दूंगा । यहां एक मोहल्ला है मजिस्द-मोठ, 24 मई 1961 को उसके लिए विज्ञप्ति हुई 17 जून 1961 को विज्ञप्ति हुई सेक्शन 6 में और अवार्ड दिया गया 19 फरवरी, 1962 को एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने अवार्ड दिया 27 जुलाई, 1971 को और हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है जो अवार्ड का पैसा है वह इन किसानों को आज तक नहीं मिला । तो जो देशमुख जी ने अपने इस प्रस्ताव को रखा है इसमें यह उनकी भावना है वह तो है ही लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसका भी आंकलन किया है इसकी भी चर्चा की सेक्शन 20 है जिसमें विमुक्ति प्रदान की जाती है, मान्यवर इसमें जो कमीशन बैठा था उसने भी इस बात की रिपोर्ट दी है कि सेक्शन 20 में राज्य सरकारों को बहुत अधिकार दिए गए हैं । उसमें यह भी है कि अगर किसी को अनड्यू हार्डशिप हो या पब्लिक इन्टरेस्ट में वह छूट दे सकती है । मान्यवर, इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है । इतना दुरुपयोग हो रहा है कि कल्पना नहीं की जा सकती । प्रत्येक राज्य में दुरुपयोग हो रहा है और इसमें करोड़-करोड़ रुपये घूस के रूप में खाए जा रहे हैं क्योंकि आपने इतना विवेक दे दिया है कि उसका वे दुरुपयोग कर सकते हैं । इसका उदाहरण देना चाहता हूं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जी० डी० ए० के पूर्व उपाध्यक्ष के आवास पर छापा दिल्ली में 20 नवम्बर को पड़ा । जी० डी० ए० गाजियाबाद डिवेलपमेंट अथारिटी है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र देव के आवास पर छापा, डेढ़ करोड़ की अवैध सम्पत्ति बरामद हुई । देसाई जी जरा सुनिए, डेढ़ करोड़ रुपये की सम्पत्ति बरामद हुई दो दिन पहले वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी धर्मेन्द देव मिश्रा के दिल्ली और अमेठी स्थित आवास पर सी० बी० आई० के एक विशेष दस्ते ने छापा मारकर लगभग डेढ़ करोड़ की अवैध सम्पति तथा भारी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं । सी० बी० आई० के सूत्रों का कहना है कि श्री देव के बैंक लाकरों और खातों की छान-बीन आवास पर तलाशी के दौरान डेढ़ करोड़ रुपए की अवैध सम्पति बरामद हुई है जिसमें काफी सामान विदेश से आया है । यह तो मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं ।

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : यह रकम दस करोड़ हो चुकी है । दस करोड़ ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : नहीं-नहीं जो उसमें छपा हैं। ...(व्यवधान)

श्री शान्ति त्यागी : अब दस करोड़ हो चुका है। ...(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जो माननीय शान्ति त्यागी जी कह रहे हैं यह डेढ़ करोड़ तो कम छपा है, यह दस करोड़ होगा ...(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : यह बहुत बड़ी बेईमानी है। ... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उसको आप जेल भिजवाइय। आई० ए० एस० सर्विस का अधिकारी है उसको आप जेल भिजवाइये। यह मैंने केवल एक नाम दिया है। राष्ट्रीय आयोग ने सिफरिश की है, सरकार के पास प्रतिवेदन दिया है उन्होंने इस बात की भी चर्चा की है कि जो सैक्शन 20 है इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि इस विधेयक की जो मंशा थी वह सैक्शन 20 के कारण पूरी नहीं हो पा रही है। तीसरी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसमें जो इस बात का प्रावधान है कि जो खाली पड़ी हुई भूमि है उसको लिया जाएगा और ले करके आवासीय विकास किया जाएगा या व्यवसायिक केन्द्र वहां पर बनाए जायेंगे। इससे मान्यवर जो स्लम हैं उसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। बम्बई में ही जहां कहा जाता है कुछ वर्ष पूर्व चार लाख लोग स्लम में रहने वाले थे तो वहां झुग्गी-झोंपड़ी की सख्या 40 लाख हो गई है। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो। जब स्लम बस्तियों में जाकर लोग रहते हैं तो उनके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, न वहां पर प्रकाश है, न शौचालय हैं, न लोगों को पीने का पानी मिलता है न पानी की निकासी हैं। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत दिन पहले जब इस देश के प्रधान मंत्री नेहरू जी जीवित थे वह कानपुर गए। तब हेलीकाप्टर से प्रधानमंत्री लोग ही जाया करते थे। जब जवाहर लाल जी प्रधानमंत्री थे तो बराबर कानपुर-इलाहाबाद सड़कों पर कार से जाया करते थे। मान्यवर, जब एक बार कानपुर जा रहे थे तो कहीं उन्हें स्लम-बस्ती दिखाई दी। उन्होंने कहा—इस स्लम बस्ती को खत्म कर दो। उसके पीछे जवाहर लाल जी की नियत यह थी कि स्लम बस्ती इस देश में नहीं रहनी चाहिएं क्योंकि स्लम-बस्ती में जो लोग रहते हैं उनको जो न्यूनतम नागरिक सुविधाएं हैं वे प्राप्त नहीं होती हैं। इसी नियत से जवाहर लाल जी ने कहा—स्लम-बस्ती खत्म होनी चाहिए। जवाहर लाल जी की सन् 1964 में मृत्यु हो गयी, यह कोई मेरा ख्याल पड़ता है सन् 1958 या 1960 के आसपास की बात है। लेकिन तब से लेकर स्लम-बस्ती का बराबर विकास हो रहा है। दिल्ली में ही आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री के निवास के पास भी लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। मान्यवर मेरा निवेदन यह है कि इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि यह स्लम-बस्ती क्यों बन रही हैं, इनका विकास क्यों हो रहा है? गांव की जमीनें आप ले रहे हैं, गांव के खेत आप ले रहे हैं और लेकर वहां विकास करना चाहते हैं कि आवासीय मकान बनेंगे और इसका नतीजा है कि यह झुग्गी-झोंपड़ी बन रहीं हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव हैं कि यहां पर भी आवासीय कालोनियां बनी हैं, जो इसके आसपास के गांव रह जाते हैं, वहां पर एक ग्राम विकास बोर्ड बनना चाहिए। सरकार को एक ग्राम विकास बोर्ड बनाना चाहिए। जिस तरह से हाऊसिंग बोर्ड बनाकर आप शहरों का विकास करते हैं, शहरों की आवास कालोनी का विकास करते हैं, उसी तरह ग्राम विकास बोर्ड द्वारा गांव के लोगों को सुविधा देनी चाहिए, गांव का विकास करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं देशमुख जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं दलबीर सिंह

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

जी, उनसे निवेदन करता हूं, वैसे इनका विभाग इस विषय पर विचार कर रहा है क्योंकि विभाग स्वयं एक प्रारूप बनाकर रखे है कि इसमें किस-किस प्रकार के संशोधन होने चाहिए, चुंकि विभाग विचार कर रहा है इसलिए मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि देशमुख जी का जो संकल्प है इसको स्वीकार कर लिया जाये, अगर स्वीकार करने में कोई कठिनाई है तो कम से कम जब इस अधिनियम में आप संशोधन करने जा रहे हैं तो जो भावनाएं देशमुख जी की हैं और सारे सदन की हैं, उनका ख्याल करके उस विधेयक में संशोधन के लिए आपको विचार करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक जब सेंट्रल हाल में हुई थी और नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम, 1976 के संबंध में जब सांसदों के विचार मांगे गए थे, उस समय मैंने जब निवेदन किया था तो देशमुख जी ने उस पाइंट को बहुत ही सराहा था और मैं सोचता हूं कि उनके दिल में बहुत पहले समय से कसक थी इस संबंध में कि यह अधिनियम जो 1976 में पारित हुआ, उसमें काफी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने की बहुत ही आवश्यकता है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए।]

उपसभाध्यक्ष महोदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन् 1885 में बनकर देश को नेतृत्व देकर महात्मा गांधी की अगुवाई में, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल से लेकर अब तक देश के विकास के लिए कांग्रेसी मूलभूत नीतियों के अंतर्गत गरीबों को उठाने के लिए, गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाने के लिए जो सतत् प्रयत्न करती रही, उसी के अंतर्गत जब प्रधानमंत्री नेहरू जी के पश्चात् सन् 1966 में इन्दिरा जी प्रधानमंत्री बनी तब भी कांग्रेस की उन मूलभूत नीतियों के अंतर्गत देश में चहुमुखी विकास के लिए कार्यक्रम लाए गए। सन् 1969 जुलाई में जब बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, तत्पश्चात् सितंबर, 1970 में प्रिविपर्स खत्म किए और दिसम्बर, 1971 में बांगला देश की लड़ाई में भारत को जो गरिमा प्राप्त हुई माननीय इंदिरा जी के नेतृत्व में उनके मन में गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, गरीबों को सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जो तड़प थी, कसक थी उसी के अंतर्गत यह 1976 का अधिनियम लाया गया। उस 1976 के अधिनियम में जो 2 फरवरी, 1976 को लोकसभा में पेश हुआ, जिसकी चर्चा 5 फरवरी, 1976 में इस राज्य सभा में हुई उसमें जो भावना इस सदन में माननीय सदस्यों की रही वही भावना उस समय भी थी। लोक सभा में इस बिल के पास होने तक 140 संशोधन उस समय पेश हुए थे, परन्तु हमें पार्टी के उद्देश्यों के हिसाब से जोकि कांग्रेस पार्टी ने एक अपनी घोषणा के माध्यम से कहा था कि हर गरीब को एक मकान मुहैया कराया जाये इसलिए जो बड़-बड़े धनाड्य थे जिनके कि पास इतनी जमीन थी उनको अगर नियंत्रित नहीं किया जाता तो उस समय से अब तक जो प्राप्तियां हो सकी हैं वह भी नहीं हो पातीं। इस सम्बंध में नेशनल कमीशन आन अर्बनाइजेशन की रिपोर्ट सरकार के पास आयी है। उससे इस अधिनियम के कारण जो जमीन एक्वायर की गयी है वह थ्रू आउट द कंट्री 14588.64 हैक्टेयर है और इसमें से अगर देखें कि वास्तविक रूप में सरकार का कब्जा कितनी जमीन पर आया तो वह फिगर सिर्फ 3851.83 एकड़ आता है। तो सन् 1976 में जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया था उसको देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वास्तव में इस बिल में इतनी भारी कमियां हैं जिन्हें कि हमें शीघ्रातिशीघ्र दूर करने की आवश्यकता है। इसके बगैर जिस मंशा से इंदिरा जी इस बिल को लेकर आयी थीं वह मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। मैं सोचता हूं कि मंत्री जी ने जैसाकि लोक सभा में विश्वास दिलाया है, इस बिल को एक नये रूप में शीघ्र ही लाने में देरी नहीं करेंगे।

इसके साथ ही मैं अन्य माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि इस एक्ट द्वारा जो भी क्रियान्वयन किया गया है इस धारा 20 और 21 का उससे इतनी घसखोरी देश में बढ़ी है कि जैसा अभी मालवीय जी ने बताया कि एक अधिकारी के कब्जे से करोड़ों की संपत्ति निकली है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : दस करोड़ की ।

श्री भंवर लाल पंवार : इस प्रकार से जो हर स्टेट में अधिकारी कोम्पीटेन्ट अथारिटी के रूप में काम कर रहे हैं उनका जायजा लिया जाये तो सारी एक रिपोर्ट सामने आ जायेगी। इन आंकड़ों से भी पता चलता है कि धारा 20 और 21 के अंतर्गत जो जमीन आवाप्त की गयी है उसमें से 43863.50 हैक्टेयर भूमि को एक्जंप्ट कर दिया गया है । तो उस एक्जेंप्ट की गयी भूमि के कारण क्या फायदा मिला । क्या उस एक्जेंप्ट की गयी भूमि में किसी गरीब मजदूर या किसान का अपना सिर ढंकने के लिए एक छोटा मकान वन पाया है? धारा 21 में बताये अनुसार 80 मीटर की जमीन पर उनको मकान मुहैया कराना है । माननीय मंत्री जी सदन को इस बात से भी अवगत करायें कि एक्जेंप्ट की हुई भूमि से कितने गरीब लोगों को कितने मकान उपलब्ध कराये गये हैं। मैं समझता हूं कि जैसाकि माननीय सदस्यों ने बताया कि सारी बेनामी कोआपरेटिव सोसा-इटीज एक किसी इंडिविजुअल की होती हैं । वही उन का मालिक होता है और दूसरे दूसरे संबंधियों के नाम वह दे देता है कोआपरेटिव बना कर ऐसे ही लोग इन जमीनों को एक्जेंप्ट करा रहे हैं और स्वयं के हित के लिए मकान बना रहे हैं । इससे लाखों रुपया उनको प्राप्त होता है और उस गरीब व्यक्ति को उस का कोई फायदा नहीं होता ।

इस बिल की मंशा थी कि जो भूमि एक्वायर की जाये उसके कंस्ट्रक्शन को रेगुलट कर दिया जाये और एक जगह भूमि का कंसंट्रेशन न रह पाये और इस क्षेत्र में प्राफिटियरिंग और स्पेकुलेशन की सारी बातें समाप्त हो जायें और जमीन का इक्वेल डिस्ट्रिब्यूशन हो जाये । इसी मंशा से 1976 में यह बिल लाया गया था । यह मंशा बिलकुल ही पूरी नहीं हो पायी है और इसके साथ ही उन गरीब किसानों से जो भूमि ली गयी है उसका उन को उचित कंपेंसेशन भी नहीं दिया जा सका है । जो साढ़े आठ गुना रेट दर के हिसाब से, कंपेंसेशन देने का प्रावधान था, मैक्सिमम 25 हजार तक कैश का प्रावधान इस में रखा गया था; लेकिन आज कल के रेट्स को देखते हुए वह बिलकुल नगण्य हो गया है । इस लिए पूरे ऐक्ट में जो प्रावधान किया गया है आज की परिस्थिति को देखते हुए वह किसी काम का नहीं रहा है । और आइन्दा बीस साल के बाद बांड्स के हिसाब से पेमेंट करने का जो प्रावधान है पांच प्रतिशत ब्याज की दर से उसके हिसाब से तो उन को एक पैसा भर ही मिल पायेगा, जैसाकि आज कल बाजार के भाव हैं उनको देखते हुए उन के हिसाब से । इस कारण इस ऐक्ट में ड्रास्टिक एमेंडमेंट लाने की आवश्यकता है ताकि वर्तमान समय में जिनकी भूमि ली जा रही है उनको उसका पूरा-पूरा मुआवजा मिल सके ।

इस संबंध में मैं यह भी निवदन करना चाहूंगा कि इस एक्ट के आने के बाद जितनी भी भूमि ली गयी है उससे कुछ लोगों को पूरा फायदा मिला भी था। वह इस प्रकार से मिला था कि जो कैश एमाउन्ट उनको दिया गया था उस को उन्होंने दूसरी जगह इंवेस्ट कर दिया और उसका पूरा फायदा उठाया । उन्होंने खेतों का जमीन पर पक्के मकान भी बनाये हैं, गोदाम भी बनाये हैं और उससे उनकी माली हालत सुधरी है । इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयर पोर्ट की ओर आप देखें तो वहां से जो लोग उठाये गए थे उन्होंने पालम कालोनी में जो पहले भी थी और दस, पंद्रह साल पहले बिलकुल सूनी जगह थी वहां उन्होंने बड़े और अच्छे मकान उसी कंपेंसेशन से बनाये हैं और इसका फायदा

[श्री भंवर लाल पंवार]

भी गरीब लोगों को मिला है। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया और देशमुख जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस सदन में चर्चा के लिए यह संकल्प लाये। मंत्री जी को इस ओर जल्दी ही ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : मैं सबसे पहले आनरेबल मैम्बर और अपने साथी श्री शं० ना० देशमुख को मुबारक पेश करता हूं कि उन्होंने वक्त के अहम को पेशेनजर रखते हुए मुनासिब वक्त पर रेजोलूशन इस अवाम में पेश किया है। मैं श्री शं०ना० देशमुख जी के रेजोलूशन की भरपूर ताईद करता हूं।

वाइस चेयरमैन साहब, जैसाकि औरों ने कहा यह सही है हमारे जंगी आजादी के रहनुमाओं की और हमारी दस्तूर-साज-असेम्बली के रहनुमाओं की यह मंशा थी कि भारत में एक सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी कायम की जाये। इस किस्म का समाज कायम किया जाए जिसमें गरीबों को भी पूरा-पूरा तरक्की करने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। मगर पिछले चंद सालों से खासतौर से 15 सालों से हम यह महसूस कर रहे हैं कि दस्तूर-साज़-असेम्बली की जो मंशा है वह उनके मुताबिक नहीं लगती। गरीब आदमी बजाय तरक्की करने के गरीब से गरीब होता जा रहा है। जैसाकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश की 85 फीसदी जमीन एग्रीकल्चर है। मैं क्या देख रहा हूं कि इस समाज में हमारे किसान भाई की हालत जिस तरह से खराब होती जा रही है उस तरह से किसी और तबके में नहीं हुई है। हम यह देख रहे हैं कि दिन पर दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। खासतौर से जो प्राइसेज हैं वे काफी बढ़ चुके हैं और किसान इस काबिल नहीं है कि वह प्राइसेज बर्दाश्त कर सके। फर्टीलाइजर की जो कीमतें हैं वे आसमान से बातें करने लगी हैं ; किसान इस काबिल नहीं है कि वह फर्टीलाइजर का इस्तेमाल कर सके। इन हालात में सबसे बड़ी बदकिस्मती किसान की यह है कि जमीन जो उसकी दौलत थी, जो उसकी मां थी, वह जमीन भी उसके हाथ से चली जाती नजर आ रही है। हम यह देख रहे है कि ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ आबादी बढ़ती जा रही है। इससे हम यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश में जो पेशेइजरात हैं उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंच सकता है। इस वजह से हुकूमत की यह अहम जिम्मेदारी है कि इस खतरे से देहातों को बचाये, किसानों को बचाये। हम यह देख रहे हैं कि हुकूमतें खासतौर से बोगस हाउसिंग सोसाइटी के लिए शहरी इलाकों में जमीन एक्वायर करती हैं वह इस वजह से एक्वायर करती हैं, इस गर्ज से एक्वायर करती हैं कि बेघर किसानों को मकान बना कर देंगे, दूसरे बेघर लोगों को मकान बना कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह अफसोस की बात है कि वे जमीनें उनसे सस्ते दामों पर हासिल कर ली जाती हैं और उस को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वे जमीन को 5 से 10 रुपये फी गज के हिसाब से हासिल करते हैं और उसको 200, 400 और हजार दो हजार रुपए फी गज के हिसाब से बेचते हैं। तो आप जरा अंदाजा लगाइये कि इससे वे कितना मुनाफा कमाते होंगे। इसकी वजह से वे लोग जो हैं वे रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं। मगर इसमें पिसता कौन है? इसमें किसान पिसता है और वह तबका पिसता है जिसने देश को पालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली हुई है। इंतहाई अफसोस की बात है। इसकी रोकथाम के लिये यह जरूरी है कि हुकूमत की जानिब से मुनासिब कानून साजी की जाये। इस वक्त जो अरबन लैंड सीलिंग एेक्ट, 1966 है वह इस काबिल नहीं है जो इस मकसद को हासिल कर सकें। इस वजह से हमारे देशमुख जी ने जो यह रेजोल्यूशन पेश किया है इसकी मैं ताईद करता हूं और मैं हुकमत से इस बात की गुजारिश

करता हूं कि वह जल्द से जल्द अगर इस सेशन में न भी सही तो कम से कम आइन्दा आने वाले सेशन में जामे और मौजूं अमेंडमेंट के साथ इसको लाये। यह कहते हुए मुझे आपने जो वक्त दिया है उसके लिये आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

†[شری محمد خلیل الرحمان (آندھرا پردیش): جناب صاحب سے پہلے آنریبل ممبر اور اپنے ساتھی شری شنکر راؤ نارائن دیشمکھ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آنہوں نے وقت کی اہمیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے مناسب وقت پر ریزولیوشن اس ایوان میں پیش کیا ہے - میں شری شنکر راؤ نارائن دیشمکھ جی کے ریزولیوشن کی بھرپور تائید کرتا ہوں -

جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب - جیسا کہ اوروں نے کہا یہ صحیح ہے کہ ہمارے ملک کے رہنماؤں کی اور ہماری آزادی کے مجاہدوں کے رہنماؤں کی یہ منشا تھی - کہ بھارت میں ایک سوشل اسٹرکچر پیٹرن آف سوشلسٹک نظام کی بنیاد اس قسم کا سماج قائم کیا جائے جسمیں غریبوں کو بھی پورا پورا ترقی کرنے کا موقع ملنے کے ذرائع مل سکیں - مگر پچھلے چند سالوں سے خاص طور سے ۱۵ سالوں سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ دستور ساز اسمبلی کی جو منشا تھی وہ پوری نہیں ہو سکی - غریب آدمی بجائے ترقی کرنے کے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے - جیسا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کی ۸۵ فیصد زمین ایگریکلچر میں ہے - میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ سماج میں ہمارے کسان بھائی کی حالت جس طرح سے خراب ہوتی جا رہی ہے اس طرح سے کسی اور طبقہ میں نہیں ہوئی ہے - ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن اسمیں اضافہ ہوتا جا رہا ہے - خاص طور پر جو پرائسیز ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں - اور کسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ پرائسز کو برداشت کر سکے - فرٹیلائیزر کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں - کسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ فرٹیلائیزر کا استعمال کر سکے - ان حالات میں سب سے بڑی بدقسمتی کسان کی یہ ہے کہ زمین جو اسکی دولت تھی - جو اسکی ماں تھی وہ زمین بھی اسکے ہاتھ سے چلی جاتی نظر آ رہی ہے - ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گرامین علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف آبادی بڑھتی آ رہی ہے - اس سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں جو بڑھتا خطرہ ہے اسکو بہت بڑا دھکا پہنچ سکتا ہے - اس وجہ سے حکومت کی یہ اہم ذمہ داری ہے - کہ اس خطرے سے دیہاتوں کو بچائے - کسانوں کو بچائے - ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ

†[ ] Transliteration in Arabic script

[شری محمد خلیل الرحمان]

حکومتیں خاص طور سے بوگس ہاؤسنگ سوسائٹی کیلئے شہری علاقوں میں زمین ایکوائر کرتی ہیں - وہ اس وجہہ سے ایکوائر کرتی ہیں - اس غرض سے ایکوائر کرتی ہیں کہ بےگھر کسانوں کو مکان بنا کر دینگے - دوسرے بے گھر لوگوں کو مکان بناکر دینگے - لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے - یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ زمینیں انسے سستے داموں پر حاصل کری جاتی ہیں اور اسکو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے - وہ زمینوں کو پانچ یا دس روپئے فی گز کے حساب سے حاصل کرتے ہیں - اور اسکو ۲۰۰ - ۴۰۰ اور ہزار دو ہزار روپئے فی گز کے حساب سے بیچتے ہیں - تو آپ ذرا اندازہ لگائے کہ اس سے وہ کتنا منافع کماتے ہونگے اسکی وجہہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ راتوں رات کروڑپتی بن جاتے ہیں - ارب پتی بن جاتے ہیں - مگر اسمیں پستا کون ہے - اسمیں کسان پستا ہے - اور وہ طبقہ پستا ہے - جس نے دیس کو پالنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی ہوئی ہے - انتہائی افسوس کی بات ہے - اسکی روک تھام کیلئے یہ ضروری ہے کہ حکومت کی جانب سے مناسب قانون سازی کی جائے - اس وقت جو اور اربن لینڈ سلینگ ایکٹ ۱۹۷۶ ہے وہ اس قابل نہیں ہے جو اس مقصد کو حاصل کرسکے - اس وجہہ سے ہمارے دیشمکھ جی نے جو یہ ریزولوشن پیش کیا میں اسکی تائید کرتا ہوں اور میں حکومت سے اس بات دی گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد - اگر اس سیشن میں نہ بھی سہی تو کم سے کم آئندہ آنے والے سیشن میں جامع اور موزوں امنڈمنٹ کے ساتھ اسکو لائیں - یہ کہتے ہوئے مجھے آپ نے جو وقت دیا ہے اسکے لئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں -]

श्री सागर रायका (गुजरात) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 1976 में जब कांग्रेस प्रस्ताव लाई थी कि ... (व्यवधान) ... कांग्रेस, समाजवादी सरकार ने इस प्रस्ताव को रखा था कि इस देश में सब लोगों को रहने के लिये घर मिलें। रहने की जो समस्या है उस समस्या को हल करने के लिये उस संकल्प को उस समय लाया गया था और बहुत बड़ उद्देश्य के साथ सरकार ने इसको रखा था। कांग्रेस के इस प्रस्ताव को करीबन ग्यारह साल हो गये, इन ग्यारह सालों में जो भूमि इस देश के गरीब लोगों के घरों के लिये उपलब्ध होनी चाहिए वह भूमि अभी तक नहीं ली है। अभी सदस्यों ने बताया सरकार को जो भूमि लेनी चाहिए थी और जितनी जल्दी लेनी चाहिए थी उस भूमि को लेने में बहुत विलम्ब हो गया है। 1976 के पहले भी कांग्रेस ने इस देश में जो जो कार्यक्रम चलाये व सब प्रगतिशील कार्यक्रम थे। 1979 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राजाओं की प्रिवी पर्स की समाप्ति की गई। इन बातों के साथ यह विश्वास किया जाता था कि शहरों में रहने वाले गरीब लोगों की रहने की समस्या भी हल हो जायेगी। लेकिन अभी इस संबंध में बहुत कुछ करना बाकी है। इसीलिये

यह संकल्प माननीय सदस्य ने यहां पर प्रस्तुत किया है। जो बात इस संकल्प में है वह यह है कि जो फायदा इस देश के शहरी गरीबों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है और इसका जो सही अमलीकरण होना चाहिए था उस अमलीकरण में कुछ खामियां हैं, कई त्रुटियां है। इनको दूर करने के लिये माननीय देशमुख जी इसमें कुछ सुझाव लाये हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं। महोदय, यह प्रस्ताव अमलीकरण के लिये लाया गया है ताकि समस्या को काफी हद तक हल किया जा सके और उसके लिये उन्होंने सुझाव भी दिये हैं। उन्होंने इसमें जो मुद्दा बताया है वह यह है कि शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों को भारी बढ़ावा मिला है। यह बात महोदय, बिल्कुल सही है। लोग कई धंधे करते होंगे मगर जमीन के मामलों में जो लोग पड़े हुए हैं वे भी इस देश के बड़े दामचोर हैं। मुझे याद है कि बम्बई के कई स्मगलरों को अहमदाबाद और राजकोट में अपनी बड़ी-बड़ी जमीनें हैं काले धन को वहां जमा रखते हैं और काले धन को छिपाने के लिए वह जमीन का धन्धा करते हैं। इसको हमें चाहे जैसे भी हो बन्द करना चाहिये। इसके खिलाफ एक बड़ा आन्दोलन लोगों को शुरू करना चाहिये। हमने शहरों में ऐसी दशा देखी है कि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। रात दिन मजदूरी करते हैं जब अपने घर में जाते हैं शादी-शुदा बीवी बच्चों के साथ अपने शरीर को छिपाने के लिए उनके पास घर नहीं है। इस देश में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास दो-दो, चार-चार, पांच-पांच घर होते हैं। इस एक्ट को लाने के लिए इस व्यवस्था को लाने के लिए इस प्रकार की जो विषम परिस्थिति हमारे देश में है उसको समाप्त करने के लिए यह संकल्प बहुत समय पहले लाया गया था मगर इस पर सही अमल अभी तक नहीं हुआ है और सही अमल न होने की वजह से आज हम भूमि उपलब्ध नहीं कर सके लोगों को घर नहीं दे सके जिनको कि घर की आवश्यकता थी। जब हमें आजादी मिली तो गांधी जी ने उस समय कहा था सही कहा था कि जब तक आर्थिक आजादी लोगों को नहीं मिलेगी तब तक आजादी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। शहरों के आसपास के लोग अपने व्यवसाय की खोज में शहरों में ज्यादा तादाद में आते जाते रहते हैं मगर उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है जिस पर वे अपना घर बना सकें। जो सरकार की जगह होती है उस सरकारी जगह पर कई एन्टी सोशल एलीमेंटस अपना कब्जा कर लेते हैं। सरकार जब अपनी सरकारी जमीन को नहीं छुड़ा सकती है तो जो किसान है वह अपना खून-पसीना बहाकर उस मिट्टी में से सोना पैदा करता है जिसके पास अपनी जीविका को चलाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। जिस आदमी के पास अपना धन्धा है अपना पैसा है वह इस पैसे को कहीं पर भी लगा कर के कोई दूसरा व्यवसाय कर सकता है मगर किसान जो केवल अपनी कृषि पर आधारित है उसके पास कोई दूसरा बिजनेस नहीं है जब उसकी जमीन ली जाती है उसको पैसा भी सही समय पर नहीं मिलता है वह कानून किसानों के लिए इतना फायदा नहीं कर सका है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इससे किसानों का बड़ा शोषण हो रहा है इससे उनको तकलीफ हुई है। आदरणीय देखमुख जी के संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। किसानों की बात 10 साल के बाद इस सदन में आई है किसानों को जो दिक्कतें पड़ती हैं, छोटा किसान जिसके पास 10 एकड़, पांच एकड़ या दो एकड़ जमीन होती है जब उसके घर मे कोई प्रसंग आता है उसको पैसे की जरूरत होती है तो वह उस जमीन को किसी के पास गिरवी रख करके दो हजार रूपये लेकर अपने घर का प्रसंग निकालता है आज तो किसान वह चीज भी नहीं कर सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान अनपढ़ होने की वजह से लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जो फार्म भरे जाने थे उसको न समझ सकने के कारण फार्म फिल-अप नहीं कर सके

[श्री स गर रायका]

थे । आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं । जो बड़े जमींदार थे जमीन के सटटाखोर थे उन लोगों ने बड़े-बड़े वकीलों की मदद लेकर अपने फार्म फिल-अप कर लिये थे मगर जो छोटा किसान जिसके पास एक एकड़ या एक बीघा जमीन थी जो कायदा-कानून नहीं जानते थ जो वकीलों के पास नहीं जा सकते थे जो उनको समझा सकते वह आज भी फंस रहे हैं और उनकी जमीन आज भी सरप्लस लैंड में जा चुकी है । ऐसे किसानों के बारे में मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि दोबारा सोचा जाए जो छोटे किसान हैं जिनको इस कायदे-कानून की जानकारी नहीं थी उसके अभाव में वो पूरा फायदा नहीं ले सके और इस कानून के अन्दर जो क्लाज थी जिसके अनुसार जरूरी फार्म फिल अप करने थे वह रह गय थे इसलिए उस एक्ट में संशोधन करना जरूरी है । अब मैं दूसरा भूमि के लेन-देन के बारे में बताना चाहता हूं । इस देश के अन्दर कई ऐसे उद्योग है जो सिक हो जाते हैं मगर जमीन के धन्धे में पड़े हुए हैं इस देश के बड़े दश्मन हैं वह जमीन के अन्दर अपना कालाधन छिपाते हैं । कालाधन इस देश की व्यवस्था को तोड़ रहा है, कालाधन इस देश की एकता को तोड़ रहा है, कालाधन इस देश के अन्दर एक ऐसा जादू कर रहा है कि जिससे इस देश के गरीब लोगों को आग आने में . .

P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Discussion on the Resolution will continue on 11th December, 1987. Members who have given their names to speak on the Resolution may do so on that day.

Now, we take up the Calling Attention motion.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Need to ensure remunerative Prices to the Sugarcane Growers for their produce—contd.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख और आश्चर्य दोनों होता है कि यह देश किसानों का है लेकिन यह सरकार किसानों की नहीं है । उससे भी दुखद बात यह है कि हम सांसद किसानों के 75 से 80 प्रतिशत मतदान से यहां आते हैं और सरकार के मंत्रियों को छोड़ दें तो जितने सदन के सदस्य हैं सबके सब शुगर केन की, गन्ने की कीमतें बढ़ाने के लिए एकमत से बात करते हैं । फिर एक सवाल उत्पन्न होता है कि सिर्फ मंत्री जी अकेले किस प्रकार से सभी सांसदों के कहने के बावजूद उस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं । वह कौन सी शक्ति है ? सरकारी प्राइस कमीशन की, पूंजीपतियों की, कि जब सरकार के दोनों तन्त्र दोनों सदन एकमत से कहें कि गन्ने की कीमतें बढ़ाई जायें तब भी सरकार 18 रुपय के मिनिमम प्राइस को बढ़ाने की बात नहीं करती है । एक बात तो मैं यह जानना चाहता हूं ।

प्राइस कमीशन की बात हमारे कल्पनाथ राय जी ने उठाई । प्रधान मंत्री जी ने कहा कि एग्रीकल्चर कास्ट एण्ड प्राइस कमीशन बनाओ । बनाने की प्रक्रिया में था कि उसमें 7 सदस्य होंगे और 7 सदस्यों में से मैक्सीमम प्रतिनिधित्व किसानों को देना था । तो कमीशन चल रहा है, प्रतिनिधि उसमें जोड़ा नहीं जाता है । जब किसानों के प्रतिनिधि इसमें नहीं होंगे तो फिर इस प्राइस कमीशन ने कैसे 18 रुपये क्विंटल दाम निश्चित किया, मेरा यह आपसे साफ-साफ प्रश्न है . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): कुछ बोले थे वह रिकार्ड पर है ।